



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय - 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियां	1.3	7
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	13
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	15
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	16
व्यय की गुणवत्ता	1.7	22
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	25
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	30
ऋण प्रबंध	1.10	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	34
निष्कर्ष	1.12	37
सिफारिशें	1.13	38
अध्याय - 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	39
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	39
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	40
ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	44
बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम	2.5	45
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	48
निष्कर्ष	2.7	50
सिफारिशें	2.8	50

अध्याय - 3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	51
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	52
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	52
विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	53
दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	54
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	55
निष्कर्ष	3.7	56
सिफारिशें	3.8	56

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	59
1.2	भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	60
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	63
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	1.3	64
1.5	भाग-क: वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2016 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	66 68
1.6	वर्ष 2015-16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	69
1.7	वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	70
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.8.4	71
1.9	कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे	1.8.5	72
2.1	2015-16 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.1	73
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी,की विवरणी	2.3.3	75
2.3	उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	76
2.4	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण	2.3.6	77
2.5	मार्च 2016 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण	2.3.7	85
2.6	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.8	87
2.7	वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना	2.4.1	88
2.8	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक बढ़ गया	2.5.3 (i)	89

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.9	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए	2.5.3 (ii)	90
2.10	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iii)	92
2.11	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iv)	93
2.12	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (v)	94
2.13	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vi)	95
2.14	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vii)	98
2.15	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था	2.5.3 (viii)	102
2.16	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (ix)	103
2.17	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (x)	105
2.18	2015-16 के दौरान अनुदान संख्या 23 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण	2.6.1 (iii)	106
2.19	पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.1 (iv)	107
2.20	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में व्यय के वेग के मामले	2.6.2 (ii)	108

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.21	पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण	2.6.2 (iii)	110
2.22	अधिक अभ्यर्पणों से संबंधित शीर्ष - वार विवरण	2.6.2 (iv)	111
2.23	स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया	2.6.2 (v)	112
3.1	31 मार्च 2016 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	113
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.2	115
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	121
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	124
3.5	दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2016 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग - वार/अवधि - वार विघटन	3.5	125
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे	3.5	126
	शब्दावली		
	पारिभाषिक शब्दावली		127
	संकेताक्षरों की शब्दावली		129

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 3 “वित्तीय रिपोर्टिंग” चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं सवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2016 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा सवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

2015-16 के दौरान ₹ 47,556.55 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। ₹ 30,929.09 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नि.वि.) (₹ 33,249 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 38,049 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों के क्रमशः 6.98 प्रतिशत तथा 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2015-16 के लिए कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,111 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 15.60 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नि.वि. (₹ 6,885 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण के 30.98 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

राजस्व व्यय 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ से 21 प्रतिशत तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया तथा चौ.वि.आ. (₹ 44,514 करोड़) के मानकीय निर्धारण से अधिक था किंतु म.अ.रा.नि.वि. (₹ 61,869.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था। नान-प्लान घटक (₹ 40,675 करोड़) राजस्व व्यय का 69 प्रतिशत था जो मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 43,208.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 82 प्रतिशत संघटित किया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़), 2014-15 से 19.57 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 7,582 करोड़) से उच्चतर था परंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 8,564 करोड़) के भीतर था।

दो विभागों के 18 प्रोजेक्ट्स, जो मई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2016)। अधूरे प्रोजेक्ट्स के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2015-16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 1,794.54 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,718 करोड़ थी। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 99,660 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, स.रा.घ.उ. का 24.50 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा थी।

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ था, 2015-16 में बढ़कर क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ हो गया।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2015-16 के दौरान, ₹ 1,11,559.26 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 95,480.50 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,493 करोड़ की बचत तथा चार अनुदानों में ₹ 1,414.24 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2014-15 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,427.57 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

51 मामलों में, ₹ 17,091.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। 21 मामलों में, ₹ 8,521.13 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 8,840.80 करोड़ वापस किए गए थे परिणामस्वरूप वास्तविक बचतों से अधिक सरेंडर (₹ 319.70 करोड़) हुआ। आगे, 20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,302.40 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए 11 अनुदानों के अंतर्गत 14 मुख्य शीर्षों में ₹ 7,408.71 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2016 के माह के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2015-16 के दौरान ₹ 42,743 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 25,185 करोड़ (58.52 प्रतिशत) था। ₹ 386.74 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 32 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया था। 74 स्कीमों में ₹ 1,813.56 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध ₹ 1,030.52 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय - 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 6,267.34 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,313 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2016 को बकाया थे। 83 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 202 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2016 को बकाया थे। 29 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से दो ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.33 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 105 मामले सूचित किए जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 93 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2015-16 के दौरान कुल व्यय का 22.34 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2015-16 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 21वां तथा जनसंख्या के संबंध में 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 12.5 प्रतिशत थी जोकि 29.50 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2015-16 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 4,92,657 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2015-16 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,65,204¹ है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,00,755.57	3,50,406.61	3,95,747.73	4,41,864.26	4,92,657
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

¹ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2014-15) की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: 2015-16 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2014-15	2015-16	सवितरण	2014-15	2015-16		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
भाग - क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	40,798.66	47,556.55	राजस्व व्यय	49,117.87	40,674.90	18,560.80	59,235.70
कर-राजस्व	27,634.57	30,929.09	सामान्य सेवाएं	16,764.73	18,585.59	127.74	18,713.33
कर-भिन्न राजस्व	4,613.12	4,752.48	सामाजिक सेवाएं	19,120.55	10,172.68	11,366.18	21,538.86
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	3,548.09	5,496.22	आर्थिक सेवाएं	13,088.00	11,623.48	7,066.88	18,690.36
भारत सरकार से अनुदान	5,002.88	6,378.76	सहायता अनुदान एवं अंशदान	144.59	293.15	-	293.15
भाग - ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18.74	29.98	पूंजीगत परिव्यय	3,715.53	283.77	6,624.56	6,908.33
ऋणों एवं अधिमों की वसूलियां	272.82	328.28	सवितरित ऋण एवं अधिम	842.87	275.20	12,975.09	13,250.29
लोक ऋण प्राप्तियां	18,858.75	37,998.43	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,227.41	-	-	7,214.68
आकस्मिक निधि	--	63.22	आकस्मिक निधि	--	-	-	63.22
लोक लेखा प्राप्तियां	28,064.30	29,055.78	लोक लेखा सवितरण	25,609.25	-	-	28,649.81
आरंभिक नकद शेष	6,007.18	6,507.52	अंतिम नकद शेष	6,507.52	-	-	6,217.73
कुल	94,020.45	1,21,539.77	कुल	94,020.45			1,21,539.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं सवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2015-16 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,294.52 करोड़ (11.92 प्रतिशत) तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 139.36 करोड़ (3.02 प्रतिशत) के अतिरिक्त भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 1,948.13 करोड़ (54.91 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 1,375.88 करोड़ (27.50 प्रतिशत) की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) बढ़ गईं। ₹ 30,929.09 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 33,249 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा 14वें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 38,049 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 6.98 प्रतिशत तथा 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2015-16 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,111 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 15.60 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,885 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 30.98 प्रतिशत तक कम पड़ गया (परिशिष्ट 1.6)।

- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,949 करोड़), 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 2,418 करोड़) तथा 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 5,602 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 10,118 करोड़ (20.60 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 40,674.90 करोड़), म.अ.रा.नी.वि. (₹ 43,208.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 5.86 प्रतिशत तक कम पड़ गया (*परिशिष्ट 1.6*)।
- ₹ 59,235.70 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. (₹ 44,514 करोड़) में मानकीय निर्धारण के विरुद्ध 33.07 प्रतिशत तक अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 61,870 करोड़) के अंतर्गत किए गए प्रक्षेपण की तुलना में 4.26 प्रतिशत तक कम पड़ गया (*परिशिष्ट 1.6*)।
- उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत विद्युत कंपनियों में ₹ 1,297.50 करोड़ के निवेश, खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार तथा परिवहन पर क्रमशः ₹ 1,425 करोड़ तथा ₹ 494 करोड़ के व्यय के कारण 'आर्थिक सेवाओं' पर व्यय में मुख्य रूप से वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 3,192.80 करोड़ (85.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2015-16 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 55.46 करोड़ (20.33 प्रतिशत) बढ़ गई।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2014-15 में ₹ 2,455.05 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 405.97 करोड़ हो गई।
- 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 6,217.73 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से ₹ 289.79 करोड़ घट गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था।

वृद्धि, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर सरा.घ.उ. के लिए 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। राजकोषीय घाटा उसी अवधि के दौरान सरा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने की सिफारिश की गई है, जबकि राज्य की निवल उधार सीमा भी 2015-16 से आगे सरा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने तथा बकाया उधार की सीमा सरा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2015-16 में 19.28 प्रतिशत,

2016-17 में 19.91 प्रतिशत, 2017-18 में 20.45 प्रतिशत, 2018-19 में 20.92 प्रतिशत तथा 2019-20 में 21.33 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने का भी सुझाव है। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया उधार के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमशः 1.83 प्रतिशत, 3.14 प्रतिशत तथा 18.91 प्रतिशत का लक्ष्य नियत किया।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बजट में प्रावधान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2015-16						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	स.रा.घ.उ. का 1.83 प्रतिशत	(-) 9557.52	टी.आर.आर. का 18.27 प्रतिशत	(-) 11679	29.51	(-) 2121.48 (22.20 प्रतिशत)	24.56 (34.37 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3.14	3.14	3.14	6.39	103.50	103.50	103.50
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	18.91	18.91	18.91	24.50	29.56	29.56	29.56

वर्ष 2015-16 का राजस्व घाटा (₹ 11,679 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, उदय स्कीम² के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 2.88 प्रतिशत तथा उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. का 6.39 प्रतिशत था।


वर्ष 2015-16 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. लक्ष्य के अनुसार स.रा.घ.उ. के 18.91 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार, उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. के 24.50 प्रतिशत पर उच्चतर और चालू वर्ष में उदय स्कीम के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 20.99 प्रतिशत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

² राज्य सरकार ने उदय के अंतर्गत डिस्कोमज से का ₹ 17,300 करोड़ (सहायतानुदान: ₹ 3,892.50 करोड़, इक्विटी: ₹ 1,297.50 करोड़, ऋण: ₹ 12,110 करोड़) का उधार अपने हाथ में लिया है।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2015 - 16 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 52,312 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 47,557 करोड़ (91 प्रतिशत) थी। कर राजस्व के अंतर्गत संग्रहण वैट के अंतर्गत कम प्राप्ति, जो ₹ 22,821 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 21,060 करोड़ तथा ₹ 3,600 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस ₹ 3,191 करोड़ थी, के कारण ₹ 38,929 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 36,425 करोड़ था। कर-भिन्न प्राप्तियां मुख्यतः शहरी विकास (₹ 878.05 करोड़), अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 728.39 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 195.45 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तिओं के कारण ₹ 13,383 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 11,131 करोड़ (83 प्रतिशत) थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 59,236 करोड़) ₹ 61,870 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 8,564 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 7,271 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 6,908 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 9,557 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 11,679 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे। ₹ 16,423 करोड़ के बजटीय राजकोषीय घाटे के विरुद्ध ₹ 31,479 करोड़ का वास्तविक राजकोषीय घाटा उदय के कार्यान्वयन के प्रभाव के कारण था।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें - 2015 - 16 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय (₹ करोड़ में)


क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	67.33	67.33
2.	लाडली - केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	40.01	40.01
3.	विधवा पेंशन	875.12	875.12
4.	आंगनवाड़ी वर्करज/हैल्परज का बीमा/वित्तीय सहायता	70.04	70.04
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	97.71	97.71
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	4.07	4.07
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा - कक्षों की स्थापना	1.08	1.08
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह - सह प्रशिक्षण केन्द्र	1.53	1.53
9.	वृद्ध, विकलांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	15.19	15.77
10.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	11.29	19.15
11.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.85	3.85


(स्रोत: राज्य बजट 2015 - 16 तथा 2015 - 16 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

1.2 वित्त लेखे 2015 - 16 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों के संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं सवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.3 2011-16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.2 तथा चार्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।


चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 406 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 29,056 करोड़) घटा लोक लेखा सवितरण (₹ 28,650 करोड़)।




सरकार की कुल प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 43,837 करोड़ से ₹ 42,482 करोड़ (96.91 प्रतिशत) तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 86,319 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 16,999 करोड़ (55.63 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 27,286 करोड़ (246.49 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,803 करोड़ (81.62 प्रतिशत) तक घट गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2011-12 में 69.71 प्रतिशत से 2015-16 में 55.09 प्रतिशत तक घट गया। 2011-16 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 5.04 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 25.25 प्रतिशत से बढ़कर 44.43 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से

सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट 1.5** में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान 55.63 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 42.04 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 131.54 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 104.92 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2011-12 में 82.2 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 75.03 प्रतिशत पर हो गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2011-12 में 9.02 प्रतिशत से 2015-16 में 13.41 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2006-07 से 2014-15 के दौरान 10.81 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.74 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 16.56 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 15.00 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (**परिशिष्ट 1.1**)। सर.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.4 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.4: सर.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	30,558	33,634	38,012	40,799	47,557
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.54	10.07	13.02	7.33	16.56
आर.आर./सर.घ.उ. (प्रतिशत)	10.16	9.60	9.61	9.23	9.65
उत्पलावकता अनुपात					
सर.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.27	0.61	1.01	0.63	1.44
सर.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	1.40	0.94	0.66	0.69	1.04
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.91	0.65	1.53	0.91	1.39
राज्य के सर.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,00,756	3,50,407	3,95,748	4,41,864	4,92,657
सर.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2011-12 में 19.54 प्रतिशत थी, 2015-16 में 16.56 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2011-12 में 0.91 से 2015-16 में 1.39 तक बढ़ गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूकी केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	38,049	33,249 ³	33,249	30,929	(-) 18.71	(-) 6.98	(-) 6.98
कर-भिन्न राजस्व	4,111	6,885 ⁴	6,885	4,753	15.62	(-) 30.97	(-) 30.97

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 18.71 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 6.98 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 15.62 प्रतिशत तक बढ़ गई तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 30.97 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.6 में दिए गए हैं जो 2011-16 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	43,71.08 (26)
वाहनों पर कर	740.15 (62)	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1400.38 (18)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3191.21 (3)
भू-राजस्व	10.95 (9)	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)
माल तथा यात्रियों पर कर	429.32 (11)	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)
अन्य कर ⁵	210.46 (31)	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)
कुल	20,399.46 (21)	23,559.02 (15)	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011-16 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,529.63 करोड़ (51.62 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2015-16 के दौरान भू-राजस्व में मार्जिनल कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने

³ केंद्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

⁴ सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

⁵ अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। 2006-07 से 2014-15 के दौरान कर राजस्व की कपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 12.30 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.08 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 11.92 प्रतिशत से 2015-16 में भी यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.28 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 30,929 करोड़) सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. (33,249 करोड़) तथा चौ.वि.आ. (₹ 38,049 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.7 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2013-14	16,774.33	101.42	0.60	0.88
	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	0.91
	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2013-14	1094.86	13.92	1.27	6.25
	2014-15	1191.50	16.76	1.41	6.08
	2015-16	1400.38	18.72	1.34	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2013-14	3,697.35	25.38	0.69	1.81
	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	2.09
	2015-16	4371.08	31.08	0.71	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2013-14	3,202.48	9.62	0.30	3.37
	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	3.59
	2015-16	3191.21	15.37	0.48	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2011-16) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है जोकि 2011-16 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ब्याज प्राप्तियां	864.96 (25)	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)
डिविडेड तथा लाभ	1.64 (-34)	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,855.05 (41)	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73(-5)	3,649.10 (-1)
ए) वृहद् तथा मध्यम सिंचाई	583	139	95	129	110
बी) सड़क परिवहन	853	1,000	1,098	1,235	1,255
सी) शहरी विकास	1,039	991	1,105	861	422
डी) शिक्षा	296	385	319	564	637
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	76	76	79	43	272
कुल	4,721.65 (38)	4,673.15 (-1)	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 30.83 करोड़ (0.65 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752.48 करोड़) ने गत वर्ष पर

₹ 139.36 करोड़ (3.02 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.99 प्रतिशत संघटित किया।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2015 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 1,795.31 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2014-15 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 8.04 करोड़ खर्च किए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2015-16 में ₹ 1,375.88 करोड़ बढ़ गए जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजनागत अनुदान	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	674.54 (-10)	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.79 (-42)	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	783.09 (75)	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)
कुल	2,754.93 (-10)	2,339.25 (-15)	4,127.18 (76)	5,002.88 (21)	6,378.76 (28)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014-15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2015-16 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 919.15 करोड़⁶ सीधे अंतरित किए।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2014-15 में ₹ 3,548.09 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 5,496.22 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

⁶ 2015-16 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

तालिका 1.10: 2014 - 15 तथा 2015 - 16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2014 - 15 के लिए वास्तविक	2015 - 16 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	1,239.11	1,733.37	494.26
आयकर	32 प्रतिशत की	884.86	1,204.79	319.93
धन कर	तुलना में राज्यों को	3.35	0.40	-2.95
सीमा शुल्क	केंद्रीय करों की	573.87	880.83	306.96
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	हिस्से योग्य राशि का	324.04	733.13	409.09
सेवाकर	42 प्रतिशत	522.86	939.76	416.90
आय एवं व्यय पर अन्य कर		0	0.03	0.03
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क		0	3.91	3.91
कुल		3,548.09	5,496.22	1,948.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 2015 - 16 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 5,496.22 करोड़) अनुमानों (₹ 5,680 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 183.78 करोड़ कम था किंतु यह 2014 - 15 की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश से महत्वपूर्णरूप से 54.91 प्रतिशत तक अधिक था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती हैं, को विपथित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लिए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-15 के दौरान प्राप्तियां ₹ 2,010.48 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,001.34 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2014-15 के लिए तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिश तथा वर्ष 2015-16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में सरकारी निर्मुक्ति तथा किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए 13वें तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन, सरकारी निर्मुक्ति तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2014-15			2015-16		
	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	204.24	171.07	122.74	199.61	86.41	135.05
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत - एस.डी.आर.एफ.	437.18	260.41	221.37	411.00	203.52	-
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	375.69	238.37	284.06	419.28	419.28	419.28
अन्य विभाग	588.57	414.62	516.19	-	-	-
कुल	1,605.68	1,084.47	1,144.36	1,029.89	709.21	554.33

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹ 1,605.68 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 1,084.47 करोड़ जारी किए। इसके विरुद्ध 2014-15 के दौरान ₹ 1,144.36 करोड़ का व्यय किया गया। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए से 5.52 प्रतिशत से अधिक थी किंतु बजट 2014-15 में किए गए प्रावधानों के विरुद्ध 71.27 प्रतिशत थी।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए। ₹ 1,029.89 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 709.21 करोड़ जारी किए जबकि 2015-16 के दौरान ₹ 554.33 करोड़ का व्यय किया गया था। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए से 22 प्रतिशत कम थी किंतु बजट 2015-16 में किए गए प्रावधानों के विरुद्ध 54 प्रतिशत थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रिमों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2011-16) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	11,070.19	15,573.73	17,875.90	19,150.31	38,356.69
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	9.24	10.81	9.89	18.74	29.98
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	294.12	349.38	261.85	272.82	328.28
लोक ऋण प्राप्तियां	10,766.83	15,213.54	17,604.16	18,858.75	37,998.43
बाजार ऋण	6,356.65	9,330.00	11,446.18	13,200.00	14,099.99
बॉण्ड्स	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,863.29	5,158.23	4,777.60	4,102.79	4,641.45
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	141.69	438.40	566.60	1,251.31	1,721.40
अन्य ऋण	307.48	235.76	472.31	173.89	138.36
भारत सरकार से ऋण	97.72	51.15	341.47	130.76	97.23
लोक ऋण प्राप्त से बाजार ऋण की प्रतिशतता	59.04	61.32	65.02	69.99	37.11
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का	9	41	16	7	101
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का	26	19	-25	7	23
स.रा.घ.उ. का	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50
पूँजीगत प्राप्तियों का	10	41	15	7	100

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा 2011-12 में 59.04 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 69.99 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में घटकर 37.11 प्रतिशत रह गया जोकि मुख्यतः वर्ष 2015-16 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के ₹ 17,300 करोड़ के ऋण लेने के विरुद्ध विद्युत बॉण्ड्स जारी करने के कारण है।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2015-16 के दौरान 14 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूँजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 29.98 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 18.74 करोड़) से 60 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 328.28 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 244.48 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2015 को ₹ 4,572.29 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 83.80 करोड़ अन्य संस्थाओं से वसूल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था।

31 मार्च 2015 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,212.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 646 करोड़ वितरित किए। 2015-16 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2015-16 की समाप्ति पर इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,858.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा

पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 646 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे। मूलधन के अतिरिक्त 31 मार्च 2016 को बकाया ऋणों के विरुद्ध ₹ 208.28 करोड़ का ब्याज भी प्राप्त किया गया। इंगित किए जाने पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (र.स.स.), हरियाणा ने बताया (सितंबर 2016) कि सहकारी चीनी मिलें उत्पादन की लागत तथा चीनी के मूल्यों में अंतर के कारण हानियां उठा रही थी।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्ति

2015-16 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्ति के रूप में ₹ 37,901.20 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 18,727.99 करोड़) से ₹ 19,173.21 करोड़ (102.38 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 14,100 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,779.81 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से ₹ 1,721.40 करोड़ के ऋण 2015-16 के दौरान उठाए गए थे, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान उदय के अंतर्गत लिए गए डिस्कोमस के ऋणों के कारण ₹ 17,300 करोड़ के बॉण्ड्स जारी किए गए।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2014-15 में ₹ 2,127.83 करोड़ से ₹ 78.91 करोड़ घटकर 2015-16 में ₹ 2,048.92 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 97.23 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 176.14 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंड्स, डिपोजिट्स, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्ति के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति का आधिक्य	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,747.69	2,967.99	1,706.64	1,919.35	1,041.05	1,048.64
बी) आरक्षित निधि	1,257.10	698.81	247.79	1,709.62	1,009.31	-1,010.81
सी) जमा	17,064.80	17,594.40	16,593.45	17,225.13	471.35	369.27
डी) अग्रिम	27.02	38.10	26.95	38.10	0.07	0.00
ई) उचत तथा विविध	453.48	562.53	506.32	544.51	(-) 52.84	18.02
एफ) प्रेषण	6,514.21	7,193.95	6,528.10	7,213.10	(-) 13.89	-19.15
कुल	28,064.30	29,055.78	25,609.25	28,649.81	2,455.05	405.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किए गए हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.6 गत पांच वर्षों (2011-16) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2011-16) की अवधि में कुल व्यय 108.85 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 47.91 प्रतिशत बढ़ गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 85.03 प्रतिशत तथा 28.59 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 48 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत के अनुपात में था। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का सवितरण भी 2013.24 प्रतिशत बढ़ गया। यह वृद्धि वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 12,266.83 करोड़ तथा विभिन्न सहकारी चीनी मिलों को ₹ 646 करोड़ की राशि के ऋणों के कारण थी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2011-12 में 84.22 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया किंतु 2015-16 में 74.61 प्रतिशत तक घट गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2011-12 में 14.13 प्रतिशत से 2015-16 में 8.70 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2011-12 में 1.65 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.57 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 16.69 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल व्यय से गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) का अनुपात 2011-12 में 63.72 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 51.23 प्रतिशत तक घट गया। सरा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2011-12 में 8.05 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 8.26 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा आर्थिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2011-12 में क्रमशः 28 तथा 34 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में क्रमशः 29 तथा 35 प्रतिशत हो गया, सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 2011-12 में 37 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 35 प्रतिशत रह गया जबकि उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2011-12 में 71 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 70 प्रतिशत रह गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2011-16) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय	32,015	38,072	41,887	49,118	59,236
वृद्धि दर (प्रतिशत)	13	19	10	17	21
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	11	11	11	12
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	24,223	28,616	31,735	36,358	40,675
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	76	75	76	74	69

2011-16 के दौरान राजस्व व्यय 13 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 27,221 करोड़ (85 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2011-15 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही किंतु 2015-16 के दौरान 12 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ से 21 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं (₹ 186.26 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,355.78 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 1,948.60 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 623.35 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 315.84 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 771.76 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 2,419 करोड़ तक बढ़ गया। विद्युत सैक्टर (₹ 4,981.22 करोड़) को सबसीडी एवं सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 5,602.36 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (69 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (31 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 10,117.83 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 5,800.45 करोड़ और ₹ 4,317.38 करोड़ शामिल थे। 2015-16 में ₹ 59,235.70 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. के मानकीय निर्धारण (₹ 44,514 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 61,869.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था।

2015-16 में ₹ 40,674.90 करोड़ का गै.यो.रा.व्य. तथा ₹ 18,560.80 करोड़ का यो.रा.व्य. सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (गै.यो.रा.व्य.: ₹ 43,208.62 करोड़ तथा यो.रा.व्य.: ₹ 18,661 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2011-16 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 एवं चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	9,960 (33)	11,464 (34)	11,816 (31)	14,359 (35)	15,313	15,294* (32)
गैर-योजनागत शीर्ष	9,070	10,280	10,374	12,250	13,135	12,870
योजनागत शीर्ष**	890	1,184	1,442	2,109	2,178	2,424
ब्याज भुगतान	4,001 (13)	4,744 (14)	5,850 (15)	6,928 (17)	8,564	8,284 (17)
पेंशनों पर व्यय	3,204 (10)	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602 (11)	5,900	5,413 (11)
सबसिडिज	3,853 (13)	5,454 (16)	5,681 (15)	5,693 (14)	6,865	6,899 (15)
कुल	21,018 (69)	25,298 (75)	27,516 (72)	31,582 (77)	36,642	35,890 (75)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 269.06 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गए वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 28,722 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 31,524.31 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 2,802.31 करोड़ (8.89 प्रतिशत) कम था तथा राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2015-16 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 82 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2011-12 से 2015-16 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 15,294 करोड़) 53.55 प्रतिशत बढ़ गया। 2006-07 से 2014-15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय

की कपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 16.87 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (15.49 प्रतिशत) से अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 6.51 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 9.95 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 15,025 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 17,061 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़) पांच वर्ष (2011-16) की अवधि में 107.05 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 1,356 करोड़ (19.57 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2011-12 में 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 17.42 प्रतिशत हो गई। 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 7,582 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 8,564 करोड़) से कम थे (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2011-12 में ₹ 3,853 करोड़ से ₹ 3,046 करोड़ (79.06 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 6,899 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 14.51 प्रतिशत था। ₹ 6,899 करोड़ की कुल सबसिडीज़ में से ₹ 6,324 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,625 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। 2015-16 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ तालिका 1.16 में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/सबसिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफिशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	3.00	0.18	0.18
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	4.00	5.20	5.20
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	0.40	0.19	0.19
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	10.00	7.07	7.07
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	8.25	7.23	7.23
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रमोशन की स्कीम	10.46	6.34	6.34
7.	माइक्रो इरीगेशन	20.00	2.07	2.07
8.	हार्ड-टैक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	5.00	4.85	4.85
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	100.00	145.21	145.21
10.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	290.00	646.00	646.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 5,413 करोड़) 68.95 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 11.38 प्रतिशत था। 2015-16 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 4,950 करोड़) से अधिक था तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,900 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फलैगशिप स्कीमें/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

फलैगशिप स्कीमें/कार्यक्रम, राष्ट्र के इनक्लुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फलैगशिप स्कीमों के लिए 2015-16 के दौरान तालिका 1.17 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	--	142.23	193.56	--	335.79	241.75	72
2	एकीकृत वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम (ए.वा.प्र.का.)	34.03	--	--	0.27	34.30	21.42	62
3	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन (रा.ग्रा.जी.मि.)	6.54	5.22	3.48	0.5	15.74	12.53	80
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	10.53	122.95	14.23	0.09	147.80	140.88	95
5	इन्दिरा आवास योजना	15.57	91.75	56.59	0.58	164.49	95.24	58
6	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	--	--	--	13.14	13.14	0.35	3
7	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	32.90	289.92	193.00	--	515.82	481.29	93
8	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	63.27	122.65	270.22	--	456.14	398.03	87
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	11.30	277.00	140.00	17.65	445.95	347.77	78
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	-2.38	--	--	35.00	32.62	36.00	110
11	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (ए.आ.स्ल.वि.का.)	54.09	--	--	--	54.09	13.56	25
12	राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	84.58	--	3.62	--	88.20	21.04	24
13	निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.)	54.10	55.35	16.13	--	125.58	97.66	78
14	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	--	83.12	--	--	83.12	83.12	100
15	सर्व शिक्षा अभियान	60.85	274.77	182.33	31.85	549.80	526.15	96
16	मिड-डे-मील स्कीम	93.40	123.82	83.34	--	300.56	223.82	74
17	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	4.18	101.63	145.83	--	251.64	239.70	95
18	पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.)	13.14	55.45	60.99	--	129.58	121.98	94
	कुल	536.10	1,745.86	1,363.32	99.08	3,744.36	3,102.29	83

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

राज्य ने फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2015-16 के दौरान ₹ 1,745.86 करोड़ प्राप्त किए। 2015-16 के लिए ₹ 3,744.36 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,102.29 करोड़ (83 प्रतिशत) उपयोग किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपाजन मिशन, इंदिरा आवास योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा मिड-डे मील के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	648.39	1,140.09	783.66	1,809.77	1,984.56	1,984.67	-
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	894.67	1,274.01	1,120.80	744.63	1,047.24	1,045.99	(-) 0.12
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	722.40	882.65	1,263.49	1,192.04	1,261.62	1,261.94	0.03
विकास अभिकरण	480.96	450.65	523.36	723.72	878.08	878.09	-
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	357.67	580.02	518.83	979.70	1,011.18	1010.97	(-) 0.02
अन्य संस्थाएं	201.92	320.53	329.53	656.14	4,583.91	4,584.31	-
कुल	3,306.01	4,647.95	4,539.67	6,106.00	10,766.59	10,765.97	0.01
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	10	12	11	12		18	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2011-12 में ₹ 3,306.01 करोड़ से 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय का 18.17 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 10,765.97 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 174.90 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 301.36 करोड़), विकास एजेंसियों (₹ 154.37 करोड़), तथा अन्य संस्थाओं (₹ 3,928.17 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 4,659.97 करोड़ (76.32 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 10,766.59 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 10,765.97 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.02 और 0.12 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त

प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.19, 2015-16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2012-13 और 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. [#] / कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012-13	12.66	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2015-16	16.12	75.13	29.07	8.70	12.75	3.18
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45
कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय। # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। स.रा.घ.उ. का स्रोत: 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर यथा उपलब्ध सूचना।						

राजकोषीय प्राथमिकता:

- हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2015-16 में बढ़कर 16.12 प्रतिशत हो गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) (16.05 प्रतिशत) से अधिक था।
- 2012-13 की तुलना में 2015-16 में हरियाणा में विकास व्यय पर प्राथमिकता बढ़ (75.13 प्रतिशत) गई तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2012-13 (35.99 प्रतिशत) की तुलना में 2015-16 (29.07 प्रतिशत) में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 (12.99 प्रतिशत) की तुलना में 2015-16 (8.70 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण रूप से घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012-13 (16.11 प्रतिशत) की तुलना में 2015-16 (12.75 प्रतिशत) में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात 2012-13 (3.61 प्रतिशत) की तुलना में 2015-16 (3.18 प्रतिशत) में थोड़ा सा घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिकोण, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.20, 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.21 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	27,192 (72)	31,868 (72)	32,300 (69)	36,180 (67)	48,037	59,652 (75)
क) विकास राजस्व व्यय	21,696 (57)	26,073 (59)	28,154 (60)	32,208 (60)	41,564	40,229 (51)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,137 (14)	5,511 (12)	3,653 (8)	3,425 (6)	5,549	6,448 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	359 (1)	284 (1)	493 (1)	547 (1)	924	12,975 (16)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विकास व्यय 119.37 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 75 प्रतिशत संघटित किया, 2014-15 में ₹ 36,180 करोड़ से ₹ 23,472 करोड़ (65 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,652 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों ने विकास व्यय का क्रमशः 67 तथा 22 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 11 प्रतिशत था। विद्युत परियोजनाओं (₹ 12,267 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 646 करोड़) तथा निजी चीनी मिल (₹ 40.13 करोड़) को संवितरित ऋणों के कारण ऋण एवं अग्रिम पिछले वर्ष से 2,272 प्रतिशत तक बढ़ गए। ₹ 48,037 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 59,652 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 124.18 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2014-15			2015-16		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.020	66.21	0.04	0.020	65.93	0.11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.029	48.38	-*	0.014	47.40	0.08
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.319	18.91	7.98	0.237	16.18	6.92
कुल (सा.से.)	0.103	53.67	1.69	0.079	51.77	1.65
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबन्धित गतिविधियां	(-) 1.098	38.96	1.89	0.149	34.09	1.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.454	6.32	8.07	0.384	5.15	7.75
विद्युत एवं ऊर्जा	0.013	0.03	-*	0.135	0.02	-*
परिवहन	0.371	39.59	3.33	0.437	42.75	3.51
कुल (आ.से.)	0.120	17.07	1.98	0.228	11.90	1.43
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.111	37.89	1.81	0.161	31.55	1.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व र.व्य.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2014-15 में 0.103 से 2015-16 में 0.079 तक कम हो गया तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2014-15 में 0.120 से 2015-16 में 0.228 तक बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2014-15 में 53.67 प्रतिशत से 2015-16 में 51.77 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2014-15 में 1.69 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.65 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2014-15 में 17.07 प्रतिशत से 2015-16 में 11.90 प्रतिशत तक घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2014-15 में 1.98 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.43 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2014-15 में 37.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 31.55 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2014-15 में 1.81 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.54 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2016 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2015-16 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 106.88 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 17 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 352.03 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.16 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 276.31 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.22 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2016 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई	1	10.09	-	7.00
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	17	200.86	-	91.65
कुल	18	210.95	-	98.65

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 18 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2014 और मार्च 2016 के मध्य थी, परन्तु ये जून 2016 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 98.65 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक सरकार ने साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 9,372.44 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.23)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.092 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2011-16 के दौरान अपने उधारों पर 9.48 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	6,981.91	7240.02	7378.87	7,500.22	7,680.39	9,372.44
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	1.64	7.05	6.49	5.80	7.40	15.89
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.02	0.10	0.09	0.08	0.10	0.17
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.73	9.86	9.83	9.33	11.13	8.64
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.71	9.76	9.74	9.25	11.03	8.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों की अवधि में 34.24 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2011-12 में ₹ 1.64 करोड़ (0.02 प्रतिशत) से 2015-16 में ₹ 15.89 करोड़ (0.17 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2011-16 के दौरान 8.64 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 1,794.54 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे।

₹ 6,231.99 करोड़ के कुल निवेश वाली नौ सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,518.03 करोड़ थी (परिशिष्ट 1.7)। तीन⁷ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 29,310.58 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 99 प्रतिशत संघटित किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ *परिशिष्ट 1.8* में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,126.48 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज सात वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 27 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।
- ₹ 774.86 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो⁸ विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 295.55 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2016 को ₹ 4,330.00 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ छः लो.नि.सां. परियोजनाएं (*परिशिष्ट 1.9*) कार्यान्वयन अधीन थी।

⁷ 2014-15 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 16,309.78 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 12,719.03 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 281.77 करोड़)।

⁸ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 295.54 करोड़।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.24, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमाणा	2013-14	2014-15	2015-16	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,489	4,002		4,572
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	775	843	1,367	13,250
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	262	273	392	328
अन्त शेष	4,002	4,572		17,494
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	4,002	4,572		5,187
निवल बढ़ोतरी	513	570	975	12,922
ब्याज प्राप्तियां	66	40	102	47
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.76	0.93	0.92	0.43
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.67	7.83	8.66	6.86
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.91	6.90	7.74	6.43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 12,922 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2016 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 17,494 करोड़ थे। ₹ 1,212.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2015-16 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 646 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे। जबकि, ₹ 12,266.83 करोड़ के ऋण वर्ष 2015-16 के दौरान ट्रांसमिशन एवं सवितरण सेवाओं के लिए विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2015 को बकाया ₹ 1,025.62 करोड़ के पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 61.94 करोड़ वसूल किए गए थे। विद्युत कंपनियों (₹ 12,266.83 करोड़) तथा प्राइवेट शुगर मिल (₹ 40.13 करोड़) को 2015-16 के दौरान सवितरित ऋण के निबंधन एवं शर्तें अंतिमकृत नहीं की गई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 721.93 करोड़ का ब्याज भुगतान वित्तीय पुनर्संरचना प्लान (वि.पु.प्ला.) के अंतर्गत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में किया गया था।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2016 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	75.53	(-) 733.94
ट्राजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	76.07	(-) 733.40
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,571.52	4,173.12
कुल (ए)	2,647.59	3,439.72
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	3.07	2.68
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	3,856.75	2,775.22
कुल (बी)	3,859.93	2,778.01
कुल योग (ए) + (बी)	6,507.52	6,217.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,507.52 करोड़ से घटकर ₹ 6,217.73 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 2,571.52 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,173.12 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2015 को ₹ 3,856.75 करोड़ से ₹ 1,081.53 करोड़ घटकर 31 मार्च 2016 को ₹ 2,725.22 करोड़ हो गए, जो मुख्यतः स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (₹ 1,537.57 करोड़) में कमी के कारण था। वर्ष 2015-16 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 186.49 करोड़ का ब्याज वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 79.70 करोड़) से ₹ 106.79 करोड़ तक बढ़ गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2015-16 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

1.8.8 'चैक्स एंड बिल्स' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हेड को निरूपित करता है। 1 अप्रैल 2015 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 0.06 करोड़ का समायोजन करने के पश्चात अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान 8.15 प्रतिशत से 8.51 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 14,100 करोड़ का ऋण लिया था यद्यपि कौश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाउंट में शेष 31 मार्च 2015 को ₹ 2,571.52 करोड़ से ₹ 1,601.60 करोड़ तक बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 4,173.12 करोड़ हो गया था जोकि 5 से 5.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर निवेशित किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन


विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2016 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुसूची स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2011-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2011-12 से 2015-16 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आंतरिक ऋण	39,343	48,680	58,143	68,797	99,660
केंद्र सरकार से ऋण	2,053	1,978	2,151	2,128	2,049
लोक लेखा देयताएं	13,144	14,160	15,969	17,521	19,009
कुल	54,540	64,818	76,263	88,446	1,20,718
वृद्धि दर	17.84	18.84	17.66	15.97	36.49
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	178.48	192.72	200.63	216.78	253.84
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	0.91	1.87	1.36	2.18	2.20
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	18.13	18.50	19.27	20.02	24.50



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011-12 में ₹ 54,540 करोड़ से मुख्यतः लोक ऋण (₹ 60,313 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 5,865 करोड़) में वृद्धि के कारण 121.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2015-16 में ₹ 1,20,718 करोड़ हो गई। सरा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011-12 में 18.13 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 24.50 प्रतिशत हो गई। 2015-16 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.38 गुणा थी। वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 8,284 करोड़ (6.86 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,20,718 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2015-16 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 98,843 करोड़ की सीमा से अधिक थी तथा सरा.घ.उ. के 19.28 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण के विरुद्ध उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करके 24.50 प्रतिशत एवं उदय स्कीम पर लिए गए ऋण को छोड़कर 20.99 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिकिंग फंड स्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने 2015-16 के लिए समेकित सिकिंग फंड को अंशदान देने के लिए ₹ 525 करोड़ का बजट प्रावधान किया। निधि में ₹ 262.50 करोड़ की राशि का अंशदान किया गया था तथा वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश पर ब्याज के रूप में ₹ 103.26 करोड़ अर्जित किए गए थे। कोई सवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,519.06 करोड़ की राशि थी।

एक प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक के प्रीमियम पर खरीदी गई इन निधियों का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया था परिणामस्वरूप 2015-16 के दौरान ₹ 11.52 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इतने बड़े प्रीमियम पर निधि के निवेश के बारे में वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने मामला, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया (अगस्त 2016)।

1.9.3 रिजर्व फंड

राज्य सरकार ने वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 12 रिजर्व फंड्स परिचालित किए। जिनमें से 9 फंड्स एक्टिव हैं तथा कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंड्स, औद्योगिक विकास फंड्स तथा खाद्यान्न रिजर्व फंड्स नामक तीन फंड्स 5 से 32 वर्षों से अपरिचालित हैं।

2015-16 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 4,173.52 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 698.81 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 1,709.62 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,162.71 करोड़ का था। अपरिचालित फंड्स में वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष हैं।

एक प्रमुख रिजर्व फंड होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 1,950.14 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 203.43 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 67.81 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। अतः निधि में कुल ₹ 271.24 करोड़ का अंशदान किया जाना था। यद्यपि, 2015-16 के लिए बजट में

₹ 308 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु निधि के निवेश पर अर्जित ₹ 122.57 करोड़ की राशि के ब्याज को छोड़कर राज्य सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं किया तथा 2015-16 के दौरान निधि को सरकारी अंशदान के रूप में माने गए रा.आ.प्र.नि. से प्राप्त किए गए एम.एच. 2245 के अंतर्गत ₹ 38.72 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों ने भी 2015-16 के दौरान रा.आ.प्र.नि. को पूरी तरह अंशदान नहीं किया।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खजाने के माध्यम से दिए जाने की बजाए निधि से चैकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सवितरित (₹ 1,689.87 करोड़) किए। तथापि, यह जांच नहीं की जा सकी कि व्यय अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया था। निधि ₹ 412.57 करोड़ पर बंद की गई थी। मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिए गारंटियां दी गई हैं, द्वारा ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई हैं।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटी	(₹ करोड़ में)				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	5,608	21,124	27,309	30,389	16,886
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	18	63	72	74	36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2015-16 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2016 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 16,886 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 14,473 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,254 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 1,159 करोड़) के संबंध में थी।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003-04 के दौरान गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि को अंतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 843.42 करोड़ शेष थे (₹ 30,621.76 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 2.75 प्रतिशत) जोकि निवेश किया गया रहा। सरकार ने 2015-16 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 61.86 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 28.42 करोड़ का योगदान निधि में दिया। 2015-16 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,37,604 करोड़ (₹ 1,20,718 करोड़ + ₹ 16,886 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 27.93 प्रतिशत थी। आगे, यह देखा गया कि दो से 11 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर

खरीदी गई निधियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामतः ₹ 4.37 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; बदले में उन्होंने मामला, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	39,236

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2011-12 में ₹ 32,486 करोड़ से ₹ 67,174 करोड़ (207 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 6,466 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन बकाया उधार वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; उधार पुनर्भुगतान तथा उधार प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल उधार के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29 2011-12 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया लोक उधार	41,396.10	50,658	60,293	70,925	1,01,709.05
बकाया लोक उधार की वृद्धि की दर	19	22	19	17	43.40
स.रा.घ.उ.	3,00,756	3,50,407	3,95,748	4,41,864	4,92,657
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	15	16	12	11	11.50
बकाया उधार की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक उधार का आ.शे. + लोक उधार का अं.शे./2)	8	8	8	9	7.61
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	13	14	15	16	17.42
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	37	39	45	43	18.99
राज्य के पास उपलब्ध निवल उधार	4,642	6,138	6,045	5,254	24,727

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2011-16 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक उधार 145.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2011-12 में ₹ 41,396 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 1,01,709 करोड़ हो गए। 2011-12 से 2015-16 की अवधि पर वृद्धि की दर 17.63 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक उधार पिछले वर्ष में 17.63 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 43.40 प्रतिशत की दर पर बढ़ गया जो कि मुख्यतः उदय के अंतर्गत सरकार द्वारा लिए गए विद्युत कंपनियों के ₹ 17,300 करोड़ (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले लेंडर बैंकों को जारी किए गए बॉण्ड्स) की राशि के उधार लेने के कारण है।

स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर 2011-12 में 15.40 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 16.51 प्रतिशत हो गई, 2013-14 में 12.94 प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति दर्ज करते हुए 2015-16 में 11.50 प्रतिशत हो गई किंतु अभी भी लोक उधार के ब्याज की औसत दर से उच्चतर थी जो कि 2011-16 की अवधि में 7.61 प्रतिशत तथा 9.14 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित है। राज्य को ऋण प्राप्ति पर निर्भर करने की बजाय सुदृढ़ वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2011-12 में 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 17.42 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक उधार पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।


उधार प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में उधार भुगतान ने 2011-12 में 37.49 प्रतिशत से 2013-14 में 45.32 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई, 2014-15 में जरा सा घटकर 43.62 प्रतिशत हो गया तथा 2015-16 में 18.99 प्रतिशत रहा जो दर्शाता है कि लोक उधार प्राप्ति, लोक उधार भुगतान से उच्चतर दर पर बढ़ रही थी परिणामस्वरूप राजस्व के अपने संसाधनों की अपेक्षा उधार प्राप्ति पर अधिक निर्भरता थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2011-16 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 8,319 करोड़, ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ था, 2015-16 में क्रमशः ₹ 11,679 करोड़, ₹ 31,479 करोड़ और ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के लिए बजट में राजस्व घाटे का ₹ 9,557.52 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 6.39 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)। तथापि, राजकोषीय घाटा उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को छोड़कर स.रा.घ.उ. के 2.88 प्रतिशत पर वर्ष 2015-16 के लिए एफ.आर.बी.एम., म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत की सीमा के भीतर था।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.31 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटे के घटक					
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 मार्केट उधार	5,994.89	8,574.38	10,621.36	12,372.99	13,168.29
2 भा.स. से ऋण	(-) 127.17	(-) 75.54	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-) 329.47	(-) 91.55	28.07	707.45	1,012.11
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,191.44	854.88	(-) 1,186.82	(-) 2,426.12	16,682.26
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	718.53	457.96	720.99	1,041.05	1,048.64
6 रिजर्व निधि	(-) 16.65	(-) 39.09	2.29	38.97	70.72
7 जमा एवं अग्रिम	826.54	597.05	1,086.43	471.42	369.27
8 उचित एवं विविध	406.73	370.77	(-) 3948.95	1,145.54	(-) 1,583.19
9 प्रेषण	214.88	(-) 72.60	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15
10 ओवर आल सरप्लस (-) घाटा (+)	8,879.72	10,576.26	7,496.20	13,314.43	30,670.04
11 नकद शेष में अधिक (-) कमी (+) *	(-) 1,726.40	(-) 214.43	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47
12 सकल राजकोषीय घाटा	7,153	10,362	8,314	12,586.05	31,479.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	1,40,99.99	931.70	13,168.29
2	भा.स. से ऋण	97.23	176.14	(-) 78.91
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,721.40	709.29	1,012.11
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	22,079.81	5,397.55	16,682.26
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,967.99	1,919.35	1,048.64
6	जमा और अग्रिम	17,632.50	17,263.23	369.27
7	रिजर्व निधियां	2,388.68	2,317.96	70.72
8	उत्त एवं विविध	1,03,084.73	1,04,667.92	(-) 1,583.19
9	प्रेषण	7,193.95	7,213.10	(-) 19.15
10	समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)			30,670.04
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			809.47
12	कुल राजकोषीय घाटा			31,479.51

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 13,168 करोड़ था जो कि 2014-15 में ₹ 12,373 करोड़ से ₹ 795 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 16,682 करोड़), राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,049 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 369 करोड़) थी।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के द्विभाजन (तालिका 1.32) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-फैक्टरज का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्ष का प्राथमिक राजस्व घाटा 2015-16 के दौरान आगे ₹ 3,037 करोड़ तक बढ़ गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्ति से तेजी से बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्ति, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

1.12 निष्कर्ष

2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियां मुख्यतः कर राजस्व ₹ 3,294.52 करोड़ (11.92 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2015-16 के लिए कर-राजस्व चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया तथा कर-भिन्न राजस्व 15.16 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 75 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 40,675 करोड़ था, जो म.अ.वि.नी.वि. (₹ 43,209 करोड़) के प्रक्षेपण से 5.86 प्रतिशत कम था जिसमें से 82 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतानों और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 6,899 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 6,324 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 तथा 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2014-15 में क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ रही, 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ (250.11 प्रतिशत) और ₹ 23,195 करोड़ (409.95 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,718 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 24.50 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा थी।

2015-16 के अंत पर राज्य का नकद शेष निवेश लेखा ₹ 1,601.60 करोड़ तक बढ़ गया तथा 5 एवं 5.5 प्रतिशत के मध्य ब्याज अर्जित किया जबकि सरकार ने 8.64 प्रतिशत की औसत पर उधार लिया।

सरकार के आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 68,797 करोड़ से बढ़कर 2015-16 के दौरान ₹ 99,660 करोड़ (44.86 प्रतिशत) हो गए। 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 6,466 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2015-16 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) पावर सैक्टर की बेहतर कर अनुपालना तथा बुद्धिसंगत सबसिडी सुनिश्चित करके कर एवं कर-भिन्न उपायों के माध्यम से गतिशील अतिरिक्त संसाधनों की संभावना खोजना;
- (ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना;
- (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल योजना बनाना तथा उनके पुनरूद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा
- (iv) केवल आवश्यकता आधारित उधारों का आश्रय लेना तथा नए उधारों का आश्रय लेने से पूर्व अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग करना।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्चों के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्णों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध 2015-16 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	53,058.80	7,356.28	60,415.08	52,341.93	(-) 8,073.15
	II पूंजीगत	15,457.12	1,916.65	17,373.77	13,886.75	(-) 3,487.02
	III ऋण एवं अग्रिम	1,366.77	12,328.36	13,695.13	13,250.30	(-) 444.83
कुल दत्तमत	69,882.69	21,601.29	91,483.98	79,478.98	(-) 12,005.00	
भारित	IV राजस्व	9,246.53	703.24	9,949.77	8,705.03	(-) 1,244.74
	V पूंजीगत	70.00	20.00	90.00	81.81	(-) 8.19
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	10,035.51	-	10,035.51	7,214.68	(-) 2,820.83
कुल भारित	19,352.04	723.24	20,075.28	16,001.52	(-) 4,073.76	
आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-	-
कुल योग	89,234.73	22,324.53	1,11,559.26	95,480.50	(-) 16,078.76	

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 1,811.26 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 7,060.22 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 22,324.53 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का 25 प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में पांच प्रतिशत था।

₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व खंड के अंतर्गत 43 अनुदानों, पूंजीगत खंड के अंतर्गत 20 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 17,493 करोड़ की बचतों तथा अनुदान संख्या 4-राजस्व (₹ 1,199.25 करोड़) के राजस्व खंड के अंतर्गत, अनुदान संख्या 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (₹ 1.02 करोड़) एवं अनुदान संख्या 42-न्याय प्रशासन (₹ 2.97 करोड़) के राजस्व भारत खंड तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 211 करोड़) के पूंजीगत खंड के अंतर्गत मुख्यतः ₹ 1,414.24 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 1,414.24 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि परिशिष्ट 2.1 में दिए गए ब्यौरे अनुसार 55 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 1,417.40 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। फिर भी, 2011-12 से 2014-15 की अवधि हेतु ₹ 1,427.57 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा 2015-16 के दौरान ₹ 1,414.24 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

अनुदान संख्या “24-सिंचाई” (तालिका 2.2) में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.2: 2011-16 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत- दत्तमत						
1.	24 - सिंचाई	254.64 (45)	275.23 (53)	213.26 (33)	402.89 (79)	211.00 (35)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष “4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनल का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर,

89-विशेष राजस्व, 92-सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर, 93-चीफ इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों'' (₹ 116.53 करोड़) के अंतर्गत हुए।

2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 26 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 2.2)। ₹ 1,03,088.66 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक व्यय ₹ 86,527.19 करोड़ था तथा बचतें ₹ 16,561.47 करोड़ थी। नौ अनुदानों शीर्षक-6-वित्त (राजस्व-दत्तमत), 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 13-स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व-दत्तमत), 6-वित्त (राजस्व-भारित), 14-शहरी विकास (पूँजीगत-दत्तमत), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूँजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण, में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थी। पर्याप्त बचतों हेतु कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 11 अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व (दत्तमत)						
1.	09-शिक्षा	882.37 (13)	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)
2.	10-तकनीकी शिक्षा	143.48 (36)	68.22 (19)	78.68 (21)	137.08 (28)	93.47 (20)
3.	11-खेल एवं युवा कल्याण	30.95 (27)	19.25 (13)	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)
4.	13-स्वास्थ्य	222.05 (16)	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)
5.	14-शहरी विकास	30.68 (36)	41.48 (15)	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)
6.	15-स्थानीय शासन	587.83 (39)	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)
7.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	122.78 (58)	107.83 (52)	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)
8.	24-संचाई	409.81 (30)	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)	359.16 (21)
9.	27-कृषि	290.56 (31)	184.55 (20)	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)
10.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	130.63 (10)	159.83 (10)	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)
पूँजीगत (दत्तमत)						
11.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	201.05 (20)	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)
पूँजीगत (भारित)						
12.	लोक ऋण	2,944.26 (37)	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वे मामले, जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, नीचे दर्शाए गए हैं:

- अनुदान संख्या 9-शिक्षा के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक स्कूल, 99-अन्य स्थापनाओं सहित टीचिंग स्टाफ, 98-स्थापना व्यय में हुई (₹ 396.60 करोड़)।
- अनुदान संख्या 15-स्थानीय शासन के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता, 87-स्मार्ट सिटी में हुई (₹ 397 करोड़)।
- अनुदान संख्या 24-सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2700-बृहद सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता, 89-विशेष राजस्व, 92-अधीक्षण अभियंता में हुई (₹ 113.08 करोड़)।
- अनुदान संख्या 27-कृषि के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2401-फसल पालन, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु स्कीम में हुई (₹ 130.24 करोड़)।
- अनुदान संख्या 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान में हुई (₹ 113.89 करोड़)।
- पूंजीगत (भारित) लोक ऋण के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बैंकों से ऋण में हुई (₹ 1,976.55 करोड़)।

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

21 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 2,752.83 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 45 उप-शीर्षों में ₹ 1,071.26 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 37 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक ₹ 779.95 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। 26-उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें

₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी। 40¹ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, चार² मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.7 निधियां न सौंपना तथा अधिक सौंपना

वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर, 51 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां सौंपी गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,09,222.44 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 93,217.13 करोड़ था परिणामतः ₹ 14,595.06 करोड़ की बचतों तथा ₹ 1,410.25 करोड़ के आधिक्य के कारण ₹ 16,005.31 करोड़ की निवल बचतें हुईं, जिसमें से ₹ 17,091.93 करोड़ सौंपे गए (परिशिष्ट 2.5) जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 1,302.40 करोड़ की बचतें नहीं सौंपी गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 21 मामलों में ₹ 8,521.13 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 8,840.80 करोड़ सौंपे गए थे तथा 4-राजस्व (राजस्व दत्तमत) एवं 24-सिंचाई (पूँजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 1,199.25 करोड़ एवं ₹ 211 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 492.91 करोड़ एवं ₹ 166.18 की निधियां अनुचित रूप से सौंपी गईं। केवल आठ मामलों में ₹ 1,695.31 करोड़ की सभी बचतें सौंपी गईं थी। अभ्यर्पण न करने तथा अधिक अभ्यर्पण हेतु कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.8 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय के वेग को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत परिशिष्ट 2.6 में सूचीबद्ध 11 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 14 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या मार्च 2016 में किया गया।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2015-16 के दौरान 11 अनुदानों के अंतर्गत 14 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 14,239.38 करोड़ के व्यय में से, ₹ 7,408.71 करोड़ (52 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2016 के महीने के दौरान किया गया।

अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

¹ परिशिष्ट 2.4 की क्र. सं. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 से 34, 37, 38, 41, 43, 53, 59, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 74 तथा 75.

² परिशिष्ट 2.4 की क्र. सं. 1, 42, 71 तथा 80

2.4 ट्रेजरी के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} हरियाणा द्वारा 2015-16 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरी के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। **परिशिष्ट 2.7** के अनुसार ₹ 26.45 करोड़ के 1,866 वाउचर मिसिंग पाए गए। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.2 ट्रेजरी द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 40 मामलों में विभिन्न ट्रेजरी से लेखे (25 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 15 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) प्रत्येक माह में चार से 16 दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। मात्र 92 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब हुआ। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे का समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसरज को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.3 प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 13.5 के अनुसार सभी डिपोजिट लेन-देनों के प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम तैयार किए जाने चाहिए तथा कोषालय के लिए लेखांकन नियम, 1992 के नियम 91 तथा 92 में निर्धारित किए गए अनुसार महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। वर्ष 2015-16 के लिए अनेक प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम आठ खजाना कार्यालयों³ से अभी भी प्रतीक्षित हैं, इस प्रकार, परिणामतः ब्राड शीट्स में बकाया शेष हैं। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसरज को सख्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.4 नॉन ऑप्रेशनल पर्सनल लेजर अकाऊंट्स

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को, समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षों को शेष का माइनस डेबिट करके

³ अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, नूह, कैथल तथा रेवाड़ी।

वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज., यदि आवश्यक हो, सामान्य ढंग से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर्स को सख्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 232.70 करोड़ के शेष के साथ 141 पी.एल.एज. थे, जिनमें से ₹ 4.80 करोड़ से आवेष्टित 41 लेखे परिचालन में थे, बंद नहीं किए गए थे, इससे निर्धारित प्रक्रिया में विचलन हुआ।

2.4.5 पेंशन/फेमिली पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के संवितरण के कारण अधिक भुगतान के विवरण

खजाना राज्य के वित्तीय प्रशासन की आधारभूत इकाई है। रोकड़ प्रबंधन में रोकड़ की हैंडलिंग तथा धारण में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का सख्त अनुपालन अपेक्षित है। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए उप-खजानों सहित जिला-खजानों के निरीक्षण ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों/आदेशों की अनुपालना न करने/गलत विवेचना तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के अधिक भुगतान के कारण पेंशनरों को खजाना अधिकारियों/उप-खजाना अधिकारियों द्वारा ₹ 5.67 करोड़ के पेंशनरी लाभों का अधिक भुगतान प्रकट किया।

2.5 बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ₹ 69,140.29 करोड़ का मूल बजट ₹ 85,037.30 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इसके विरुद्ध 2015-16 के दौरान ₹ 79,394.32 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 2.4 में दिए गए हैं:

तालिका 2.4: 2011-16 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
मूल बजट	40,276.28	45,318.93	53,073.59	59,451.23	69,140.29
संशोधित अनुमान	41,487.77	46,413.29	53,548.30	61,449.82	85,037.30
वास्तविक व्यय	38,014.30	44,355.56	46,597.31	53,676.27	79,394.32
बचत/आधिक्य	3,473.47	2,057.73	6,950.99	7,773.55	5,642.98

आगे, न केवल वार्षिक योजना के प्रावधान को ₹ 25,743 करोड़ से ₹ 42,743 करोड़ तक संशोधित किया गया था, बल्कि केवल ₹ 25,185 करोड़ का वास्तविक व्यय किया जा सका जोकि मूल बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया जैसा नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वार्षिक योजना के प्रावधान के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
मूल बजट	15,337	16,549	20,353	22,251	25,743
संशोधित अनुमान	15,254	16,336	19,471	22,110	42,743
वास्तविक व्यय	12,146	13,647	15,219	17,597	25,185
बचत/आधिक्य	3,108	2,689	4,252	4,513	17,558

इसी प्रकार, ₹ 52,717 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां ₹ 54,642 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके विरुद्ध केवल ₹ 47,915 करोड़ वास्तव में वसूल किए गए थे जैसा नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
मूल बजट	32,268	37,722	44,098	48,058	52,717
संशोधित अनुमान	33,806	38,281	42,033	45,821	54,642
वास्तविक व्यय	30,861	33,994	38,284	41,090	47,915
बचत/आधिक्य	2,945	4,287	3,749	4,731	6,727

2.5.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमान जहां तक संभव हों परिशुद्ध बनाए जाने चाहिए कि वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी तथा इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्ष के उन महीनों की वास्तविक प्राप्तियां होंगी जो पहले ही बीत गए हों। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के विशेष स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी प्रकट करती हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता को मान सकता है। अनुमान हमेशा उन अधिकारियों, जो उन्हें प्रस्तुत करते हैं, के सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत ध्यान के पश्चात प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा जहां तक संभव हों परिशुद्ध होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि कर-भिन्न राजस्व पूर्वानुमानों के लिए 2015-16 का संशोधित अनुमान ₹ 13,731.25 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 11,131.24 करोड़ थी परिणामतः ₹ 2,600.01 करोड़ की अधोमुखी भिन्नता हुई अर्थात् मूल पूर्वानुमान से 19 प्रतिशत नीचे। इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 के लिए कर राजस्व ₹ 40,436.10 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 36,425.31 करोड़ थी परिणामतः पूर्वानुमान से नीचे ₹ 4,010.79 करोड़ की भिन्नता हुई। गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान तथा वास्तविक राजस्व नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2011-12	कर राजस्व	23,780.57	23,081.01	699.56
	कर-भिन्न राजस्व	9,707.06	7,476.58	2,230.48
2012-13	कर राजस्व	27,460.10	26,621.13	838.97
	कर-भिन्न राजस्व	10,363.97	7,012.40	3,351.57
2013-14	कर राजस्व	30,234.52	28,909.84	1,324.68
	कर-भिन्न राजस्व	11,401.42	9,102.24	2,299.18
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01

2.5.3 योजनागत अनुमानों में कमियां

2015-16 के दौरान योजनागत व्यय हेतु ₹ 42,743 करोड़ का आकलन किया गया था। ₹ 25,185 करोड़ का वास्तविक व्यय, जो उपर्युक्त राशि का 59 प्रतिशत तथा पूर्वानुमानों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i. 13 योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2015-16 के दौरान ₹ 704.54 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमान में ₹ 568.62 करोड़ तक कम किया गया था किंतु ₹ 730.66 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 128.50 प्रतिशत था जैसाकि **परिशिष्ट 2.8** में विवरण दिया गया है।
- ii. 2015-16 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 386.74 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 32 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में निकाल दी गई थी (**परिशिष्ट 2.9**)।
- iii. 2015-16 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 20 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 232.04 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 82.80 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी (**परिशिष्ट 2.10**) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।
- iv. अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 14 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2015-16 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.11**)।
- v. 11 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 349.53 करोड़ का प्रावधान ₹ 370.19 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 212.27 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से कम था (**परिशिष्ट 2.12**)।
- vi. 74 प्लान योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2015-16 के दौरान ₹ 3,706.93 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 2,461.47 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,575.81 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित परिव्यय का 64 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.13**)।
- vii. 74 योजनाएं, जिनके लिए संशोधित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 1,813.56 करोड़ का प्रावधान किया गया था, किंतु ₹ 1,030.52 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था (**परिशिष्ट 2.14**)।
- viii. 10 योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु संशोधित अनुमान में ₹ 279.94 करोड़ शामिल किए गए। इन योजनाओं पर किया गया ₹ 154.32 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से कम था (**परिशिष्ट 2.15**)।

- ix. 26 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,176.78 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,556.87 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,479.39 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 58 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.16)।
- x. नौ नई योजनाएं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 466.10 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2015-16 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था तथा दो योजनाएं, जिनके लिए प्रावधान संशोधित अनुमानों में ₹ 36.35 करोड़ से ₹ 70 करोड़ तक बढ़ाया गया था किंतु वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था जैसाकि दर्शाया गया है (परिशिष्ट 2.17)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “23-खाद्य एवं आपूर्ति” तथा अनुदान संख्या “32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास”) के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा चालू वर्ष के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2016)।

2.6.1 अनुदान संख्या 23 - खाद्य एवं आपूर्ति

2015-16 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- i) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 374.05 करोड़ (मूल ₹ 318.05 करोड़ तथा पूरक ₹ 56.00 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 251.31 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 122.74 करोड़ की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान के विरुद्ध 33 प्रतिशत थी। ₹ 56.00 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ii) पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 9,369.37 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 7,344.28 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,025.09 करोड़ की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान के विरुद्ध 22 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किया गया था।
- iii) पांच स्कीमों पर ₹ 247.82 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 224.33 करोड़ (91 प्रतिशत) का व्यय 2015-16 के अंतिम माह के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। उपर्युक्त पांच स्कीमों में से दो स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम माह के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 2.18)।
- iv) आठ उप-शीर्षों में, परिशिष्ट 2.19 में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 15 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित सतत् बचतें थीं। यह अकुशल योजना तथा अवास्तविक अनुमान की सूचक हैं।

- v) शीर्ष 4408-01-101-98 प्रभार्य स्थापना लागत के अंतर्गत ₹ 63.30 करोड़ (पुनर्विनियोजन के पश्चात्) के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 119.60 करोड़ का व्यय 2015-16 के दौरान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.30 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका विधान मंडल से विनियमन अपेक्षित है।

2.6.2 अनुदान संख्या 27 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास

समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

- i) वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,947.70 करोड़ (मूल: ₹ 2,945.76 करोड़ तथा पूरक: ₹ 1.94 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,132.16 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 815.54 करोड़ की बचत हुई। ₹ 1.94 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ii) 39 स्कीमों पर 2015-16 के लिए ₹ 1,594.03 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1,189.47 करोड़ (75 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। इन 39 स्कीमों में से 23 स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (*परिशिष्ट 2.20*)।
- iii) 16 उप-शीर्षों में, *परिशिष्ट 2.21* में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के छः तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित सतत् बचतें थी।
- iv). अनुदान के राजस्व खंड के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 372.95 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 364.98 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, विभाग ने गलती से ₹ 27.88 करोड़ सरेंडर किए (*परिशिष्ट 2.22*)।
- v). 10 माइनर शीर्षों/स्कीमों में वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 365.26 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 365.26 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से आहरित किया गया था जैसा कि विवरण *परिशिष्ट 2.23* में दिए गए हैं।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2015-16 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर 2014 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो अनुदानों (अनुदान संख्या 23 और अनुदान संख्या 32) की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान क्रमशः 16 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् क्रमशः 20 नवंबर 2014 तथा फरवरी 2015 के मध्य प्रस्तुत किए।

2.7 निष्कर्ष

2015-16 के दौरान, ₹ 1,11,559.26 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 95,480.50 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,493 करोड़ की बचत तथा राजस्व खण्ड के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान संख्या 4-राजस्व (₹ 1,199.25 करोड़), राजस्व भारित खण्ड के अंतर्गत अनुदान संख्या 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (₹ 1.02 करोड़) तथा अनुदान संख्या 42-न्याय प्रशासन (₹ 2.97 करोड़) तथा पूंजीगत खण्ड की अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 211 करोड़) में ₹ 1,414.27 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2014-15 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,427.57 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

51 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर) में ₹ 17,091.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में सरेंडर किए गए थे। 21 मामलों में ₹ 8,840.80 करोड़ सरेंडर किए गए जिसमें वास्तविक बचतों से ₹ 319.67 करोड़ का अधिक सरेंडर शामिल था। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,302.40 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। वहां अनुचित विनियोजनों के मामले भी थे।

2.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाना;
- बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करना;
- वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना; तथा
- वाउचरों, लेखाओं इत्यादि का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने तथा पैशनों एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के कारण अधिक भुगतान पर निगरानी रखने के लिए खजानों की कार्यविधि में सुधार हेतु उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।

अध्याय - 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 14,062.92 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 9,024 उ.प्र.प. में से ₹ 6,267.34 करोड़ की कुल राशि के 1,313 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2016 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागीय विघटन **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में आयुवार विलंब **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलंब की रेंज वर्षों में	भुगतान किए गए कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 - 1	5,783	4,989.46	617	2,556.42
2	2 - 4	2,567	7,925.14	670	3,560.04
3	5 - 7	674	1,148.32	26	150.88
कुल		9,024	14,062.92	1,313	6,267.34

तालिका 3.1 दर्शाती है कि लम्बित 1,313 उ.प्र.प. में से 696 उ.प्र.प. (53 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2013-14 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों अर्थात् दो से सात वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। **परिशिष्ट 3.1** का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल लम्बित 1,313 उ.प्र.प. में से 906 उ.प्र.प. (69 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि

पूर्ववर्ती अनुदानों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान सवितरित करते रहने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 (नि.म.ले.प. अधिनियम-1971) की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

83 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 202 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2016 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे **परिशिष्ट 3.2** में दिये गए हैं और उनके आयु-वार बकाया लंबनता **तालिका 3.2** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	विलम्ब वर्षों में	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	73	213.68
2.	1-3	73	189.74
3.	3-5	38	101.10
4.	5-7	14	25.64
5.	7-9	4	2.00
	कुल	202	532.16

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 161 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, में से 28 निकायों/प्राधिकरणों का आडिट 2015-16 के दौरान किया गया था।

3.3 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण तथा कृषि के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में इंगित की गई है।

एक¹ स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 19 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि अन्य निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा सात वर्षों के मध्य रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से पता न लगाई जा रही वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है तथा इसलिए लेखाओं का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाना तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2014-15) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2013-14) के संबंध में पू.ले.प. राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

3.4 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी वर्किंग का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतः जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब से सार्वजनिक धन की जालसाजी और रिसाव के जोखिम की संभावना है।

जून 2016 तक, ऐसे पांच उपक्रमों ने 1986-87 तथा 2013-14 के मध्य श्रृंखलित वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 7,125.66 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बकायों के बारे में बार-बार राज्य के वित्तों पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

¹ जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

3.5 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि के लिए उस सीमा तक, जो उसने अपने स्वयं के कार्य अथवा लापरवाही से हानि में सहयोग दिया, के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, तत्रैव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.33 करोड़ राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग तथा गबन के 105 मामले सूचित किए जिन पर जून 2016 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की एज प्रोफाइल तथा संख्या, जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हैं, **तालिका 3.3** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.3: दुरुपयोग, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

(₹ लाख में)

लंबित मामलों का एज-प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में शृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0 - 5	12	31.32	जून 2015 को लंबित मामले	120	150.26
5 - 10	18	27.35			
10 - 15	24	43.44	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	3	7.25
15 - 20	11	10.61			
20 - 25	14	15.50	कुल	123	157.51
25 एवं अधिक	26	5.21	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	18	24.08
कुल	105	133.43	जून 2016 को कुल लंबित मामले	105	133.43

मामलों के लम्बित रहने के लिए कारण तालिका 3.4 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिए कारण

लंबित मामलों के लिए विलंब/बकाया हेतु कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	4	9.61
ii)	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	58	53.39
iii)	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की गई किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	6	2.27
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	32	44.80
v)	विधि न्यायालयों में लम्बित	5	23.36
कुल		105	133.43

कुल हानि मामलों में से 63 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 55 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 30 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे यह देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग के कारण हानियों के 105 मामलों में से 93 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें 26 मामले जो 25 वर्षों से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जवाब न देने का कारण भी बनी।

3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना है क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है।

2015-16 के दौरान कुल ₹ 14,778.53 करोड़ (कुल व्यय का 22.34 प्रतिशत) का व्यय विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत बृहद शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सबसिडी, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग 2014-15 में ₹ 8,426.51 करोड़ से ₹ 6,352.02 करोड़ (75 प्रतिशत) तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 14,778.53 करोड़ हो गई। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत बृहद् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.7 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलंब थे तथा परिणामस्वरूप अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कुछ स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अंतिम लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनकी वित्तीय स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि तथा गबन के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2015-16 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत कुल व्यय का 22.34 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना;
- (ii) स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली स्थापित करना;

- (iii) चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना; तथा
- (iv) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशियों को लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों के व्यय में शामिल करने की बजाए अलग से दर्शाना।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजे गए थे (सितंबर 2016); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2016)।

चण्डीगढ़
दिनांक:

(महुआ पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)
राज्य प्रोफाइल

राज्य प्रोफाइल					
क.	सामान्य डाटा				
क्र.सं.	विवरण			आंकड़े	
1	क्षेत्र			44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या				
	क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.11 करोड़	
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार		2.54 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=29.50 प्रतिशत)			12.50 प्रतिशत	
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)			75.55 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु - दर ³ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=39 प्रति 1000 सजीव जन्म)			36	
7	जन्म ⁴ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=67.5 वर्ष)			67.6 वर्ष	
8	गिनी सहकारी कारण ⁵				
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)		0.29	
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)		0.38	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2015-16 ⁶			₹ 4,92,657 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16)	हरियाणा		14.19 प्रतिशत	
11		सामान्य श्रेणी राज्य		14.27 प्रतिशत	
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16) ⁷	हरियाणा		16.08 प्रतिशत	
13		सामान्य श्रेणी राज्य		15.75 प्रतिशत	
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2006 से 2015)			15.91 प्रतिशत	
15	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2006 से 2015)			12.24 प्रतिशत	
ख	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
	सी.ए.जी.आर	2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	14.74	10.81	15.00	16.56
ख	स्वयं के कर राजस्व का	15.08	12.30	13.28	11.92
ग	कर - भिन्न राजस्व का	10.20	0.06	6.00	3.03
घ	कुल व्यय का	16.71	13.88	16.42	47.91
ड	पूँजीगत व्यय का	13.21	5.46	25.80	85.90
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.08	19.12	12.17	6.70
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.70	21.20	13.44	14.54
ज	वेतन एवं मजदूरियों का ⁹	15.49	16.87	9.95	6.51
झ	पेंशन का ⁹	18.59	18.63	11.79	17.62

¹ जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

² निर्धनता के माप के लिए पद्धति आयोजना आयोग (जून 2014) कार्यप्रणाली की समीक्षा के लए विशेषज्ञ दल (रंगराजन) की रिपोर्ट।

³ सितंबर 2014 की सैपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन (भारत के महारजिस्ट्रार)।

⁴ भारत का आर्थिक सर्वे तालिका 9.1

⁵ 2015-16 के लिए योजना आयोग डाटा।

⁶ सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय हरियाणा।

⁷ सी.एस.ओ. (एच.टी.टी.पी./एस.ओ. एस.पी.आई. निक.इन/मोसपी-न्यू/साईट/ईनर एस. पी. एक्स? एम.टी. यू.एस.-3 एंड मैनु-आई.डी.=82) (असम, छत्तीसगढ़, गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किया गया है)

⁸ भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी गुप की रिपोर्ट।

⁹ दिल्ली को छोड़कर।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्किट ऋण, ब्रॉडस, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टर में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टर में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट कर के की जाती है। 2015-16 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्राजिटरी शीर्ष है फाइनल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
	वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-I में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:
विवरणी सं. 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	राजस्व लेखे से पृथक् व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।
खंड-II में दो भाग शामिल हैं- भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
खंड-II का भाग-I	
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 16	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 17	उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्किट ऋण, बॉंड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 22	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
खंड-II भाग-III में मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल है। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि सर.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सर.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग सर.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु सर.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सर.घ.उ.) में प्रवाह

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,00,756	3,50,407	3,95,748	4,41,864	4,92,657
सर.घ.उ. की वृद्धि दर	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/सर.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})2]*100$
ब्याज फैलाव	सर.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग - क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	30,558	33,634	38,012	40,799	47,557
(i) कर राजस्व	20,399(67)	23,559(70)	25,567(67)	27,635(67)	30,929 (65)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	13,384(66)	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,832(14)	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)
वाहनों पर कर	740(4)	887(4)	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,793(14)	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)
भू-राजस्व	11	13	12	15	15
माल एवं यात्रियों पर कर	429(2)	471(2)	498(2)	527(2)	554 (2)
विजली पर कर एवं शुल्क	166	192(1)	219(1)	240(1)	257 (1)
अन्य कर	44	57	69	89	80
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,722(15)	4,673(14)	4,975(13)	4,613(13)	4,753 (10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	2,682(9)	3,062(9)	3,343(9)	3,548(9)	5,496 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2,755(9)	2,340(7)	4,127(11)	5,003(13)	6,379 (13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9	11	10	19	30
3. ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियां	294	349	262	273	328
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	30,861	33,994	38,284	41,091	47,915
5. लोक ऋण प्राप्तियां	10,767	15,213	17,604	18,859	37,998
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	98(1)	51	341(2)	131(1)	97
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	41,628	49,207	55,888	59,950	85,913
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	168	-	-	-	63
8. लोक लेखे प्राप्तियां	19,260	22,709	26,548	28,064	29,056
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	61,056	71,916	82,436	88,014	1,15,032
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	32,015	38,072	41,887	49,118	59,236
योजनागत	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)
योजनेत्तर	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)
आर्थिक सेवाएं	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)
सामाजिक सेवाएं	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	99	102	136(1)	145	293
11. पूंजीगत व्यय	5,372	5,762	3,935	3,716	6,908
योजनागत	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)
योजनेत्तर	1,018 (19)	1,571(27)	(-),1,132 (-29)	(-) 1,121 (-30)	284 (4)
सामान्य सेवाएं	235 (5)	251(4)	282(7)	291(8)	460 (7)
आर्थिक सेवाएं	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)
सामाजिक सेवाएं	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)
12. ऋणों एवं अग्रियों का वितरण	627	522	776	843	13,250
13. कुल (10 + 11 + 12)	38,014	44,356	46,598	53,677	79,394
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	4,037	5,951	7,968	8,227	7,215
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	225 (6)	126(2)	168(2)	154(2)	176 (2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13 + 14 + 15)	42,051	50,307	54,566	61,904	86,609
17. आकस्मिक निधि संवितरण	168	-	-	-	63
18. लोक लेखे संवितरण	17,051	21,074	24,560	25,609	28,650
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16 + 17 + 18)	59,270	71,381	79,126	87,513	1,15,322
भाग ग- घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-) 1,457	(-)4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	-11,679
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-) 7,153	(-)10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	-31,479
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 3,152	(-)5,618	(-) 2,464	(-) 5,658	-23,195

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग - घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4,001	4,744	5,850	6,928	8,284
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,306	4,648	4,540	6,106	10,766
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	974(11)	347(12)	109 (4)	-	0
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	1.51	0.78	0.03	-	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰	3,00,756	3,50,407	3,95,748	4,41,864	4,92,657
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	54,540	64,818	76,263	88,446	1,20,718
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	5,608	21,124	27,309	30,389	16,886
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	8	14	40	14	18
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	186	48	398	62.19	98.65
भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.068	0.067	0.065	0.063	0.063
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.016	0.013	0.013	0.010	0.010
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.009	0.008	0.008	0.011
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.126	0.127	0.118	0.121	0.161
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.244	1.319	1.226	1.316	1.669
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.842	0.858	0.899	0.915	0.746
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.368	0.360	0.370	0.392	0.291
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.337	0.352	0.313	0.272	0.297
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.141	0.130	0.084	0.069	0.087
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.135	0.124	0.078	0.064	0.081
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.005	-0.013	-0.010	-0.019	-0.024
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-0.024	-0.030	-0.021	-0.028	-0.064
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.010	(-) 0.016	(-) 0.006	(-) 0.013	(-) 0.047
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.204	0.428	0.466	0.661	0.371
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-) 0.012	(-) 0.018	(-) 0.017	(-) 0.025	(-) 0.033
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.18	0.18	0.19	0.20	0.25
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.785	1.927	2.006	2.168	2.538
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	1.64	7.05	6.49	5.80	15.89
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4977	3741	4406	1161	4510
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.78	0.75	0.74	0.68	0.67

परिशिष्ट 1.5 भाग - क
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2015 - 16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां			संवितरण			
	2014-15			2014-15	2015-16		
				नॉन - प्लान	प्लान	कुल	
भाग क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	40,798.66		47,556.55	49,117.87			59,235.70
कर राजस्व	27,634.57	30,929.09	I. राजस्व व्यय	16,764.73	18,585.59	127.74	18,713.33
कर भिन्न राजस्व	4,613.12	4,752.48	सामान्य सेवाएं	19,120.56	10,172.68	11,366.18	21,538.86
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	3,548.09	5,496.22	सामाजिक सेवाएं	9,293.18	6,170.85	3,745.68	9,916.53
नॉन प्लान अनुदान	1,723.20	3,744.39	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,173.86	994.60	1,495.10	2,489.70
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	2,815.36	2,268.18	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,021.12	1,785.70	1,856.48	3,642.18
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	464.32	366.19	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	101.33	42.45	62.72	105.17
			सूचना एवं प्रसारण	270.00	146.63	186.97	333.60
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	289.71	181.07	125.43	306.50
			श्रम एवं श्रम कल्याण	3,964.80	842.76	3,893.8	4,736.56
			समाज कल्याण एवं पोषण	6.56	8.62	0	8.62
			अन्य	13,088.00	11,623.48	7,066.88	18,690.36
			आर्थिक सेवाएं	2,011.92	942.12	1,353.02	2,295.14
			कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,843.44	677.47	1,173.2	1,850.67
			ग्रामीण विकास	1,159.14	1,066.80	338.58	1,405.38
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,244.67	6,325.85	3,894.07	10,219.92
			ऊर्जा	145.68	35.97	58.81	94.78
			उद्योग एवं खनिज	2,567.01	2,515.84	79.34	2,595.18
			परिवहन	21.65	8.43	25.10	33.53
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	94.49	51.00	144.76	195.76
			अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	144.59	293.15	0	293.15
			सहायता अनुदान तथा अंशदान				
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	8,319.21		11,679.15				
			भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य				
योग भाग क	49,117.87		59,235.70	49,117.87	40,674.90	18,560.80	59,235.70
भाग ख - अन्य							
III. स्थायी अशिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	6,007.18	6,507.52					
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18.74	29.98					
			III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट				
			IV. पूंजीगत परिव्यय	3,715.53	283.77	6,624.56	6,908.33
			सामान्य सेवाएं	290.70	0	460.56	460.56
			सामाजिक सेवाएं	1,897.56	0	1,539.99	1,539.99
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	186.06		202.16	202.16
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	64.87		35.20	35.20
			जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,418.25		1,133.51	1,133.51
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.25		2.24	2.24
			समाज कल्याण एवं पोषण	56.84		57.45	57.45
			अन्य	170.29		109.43	109.43

प्राप्तियां			संवितरण					
	2014-15		2015-16		2014-15	2015-16		
						नॉन-प्लान	प्लान	कुल
					1,527.27	283.77	4,624.01	4,907.78
				आर्थिक सेवाएं				
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	(-) 1,053.03	283.55	117.35	400.9
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	965.33		876.21	876.21
				ऊर्जा	66.94		1,597.50	1,597.50
				उद्योग एवं खनिज	1.22		0.01	0.01
				परिवहन	1,516.96	0.22	2,010.99	2,011.21
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.51		21.95	21.95
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	272.82		328.28	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	842.87	275.2	12,975.09	13,250.29
बिजली परियोजनाओं से	25.95	61.94		बिजली परियोजनाओं हेतु	118.11		12,266.83	12,266.83
सरकारी कर्मचारियों से	217.65	244.48		सरकारी कर्मचारियों को	296.29	275.20		275.20
अन्यों से	29.22	21.86		अन्यों को	428.47		708.26	708.26
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-			VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	8,319.21			11,679.15
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	18,858.75		37,998.43	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,227.41			7,214.68
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	18,727.99	37,901.19		अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	8,073.67	7,038.54		
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	--			अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	--	--		
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	130.76	97.24		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	153.74	176.14		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-		63.22
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि			63.22	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	-	-		
X. लोक लेखा प्राप्तियां	28,064.30		29,055.78	X. लोक लेखा संवितरण	25,609.25			28,649.81
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,747.69	2,967.99		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.		1,919.35		
आरक्षण निधियां	1,257.10	698.81		आरक्षण निधियां		1,709.62		
उच्चन्त एवं विविध	453.48	562.53		उच्चन्त एवं विविध		544.51		
प्रेषण	6,514.21	7,193.95		प्रेषण		7,213.1		
निक्षेप एवं अग्रिम	17,091.82	17,632.50		डिपोजिटस एवं अग्रिम		17,263.23		
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. सन्नापति पर नकद शेष	6,507.52			6,217.73
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद		0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप		-733.94		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष		2.79		
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश		6,948.34		
योग भाग - ख	53,221.79		73,983.21	योग	53,221.79			73,983.21

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 30)

31 मार्च 2016 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2015 को	देयताएं	31 मार्च 2016 को
68,797.47	आन्तरिक ऋण	99,660.13
	52,650.52 ब्याज युक्त बाजार ऋण	65,818.85
	2.31 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.28
	1.41 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.62
	3,904.06 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	20,587.10
	12,239.17 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	13,251.28
2,127.83	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,048.92
	1984 - 85 से पूर्व के ऋण	
	47.16 योजनेत्तर ऋण	45.28
	2,074.33 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,997.3
	- केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	0
	6.34 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	6.34
200.00	आकस्मिक निधि	200
11,157.68	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	12,206.32
6,046.33	डिपोजिटस	6,415.6
4,173.52	आरक्षण निधियां	3,162.71
--	उचत तथा विविध शेष	
143.35	प्रेषण शेष	124.2
92,646.18		1,23,817.88
31 मार्च 2015 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2016 को
52,145.68	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	59,024.03
	7,500.22 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	9,372.44
	44,645.46 अन्य पूंजीगत परिव्यय	49,651.59
4,572.29	ऋण एवं अग्रिम	
	1,025.62 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	13,230.51
	2,727.87 अन्य विकास ऋण	3,414.28
	818.80 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	849.51
0.72	अग्रिम	0.72
193.99	उचन्त एवं विविध शेष	175.97
-	प्रेषण शेष	
6,507.52	नकद	6,217.73
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	75.53 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	-733.94
	3.07 विभागीय नकद शेष	2.68
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.11
	2,571.52 नकद शेष निवेश	4,173.12
	3,856.75 आरक्षण निधि निवेश	2,775.22
29,225.98	सरकारी लेखाओं पर घाटा	40,905.13
	8,319.21 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	11,679.15
	20,906.77 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	29,225.98
92,646.18	कुल	1,23,817.88

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदे अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदे लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 2.57 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2016)।

परिशिष्ट 1.6
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2015-16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
स्वयं का कर राजस्व	38,049	33,249.40
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,111	6,885.39
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	42,160	40,134.79
योजनेतर राजस्व व्यय	-	43,208.62
योजनागत राजस्व व्यय	-	18,661.00
कुल राजस्व व्यय	44,514	61,869.62
वेतन	-	17,060.56
ब्याज भुगतान	7,582	8,563.75
पेंशन	4,950	5,900.00
सबसिडी - विद्युत	-	5,624.92
राजस्व घाटा	-	9,557.52
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का 3.25 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 19.28 प्रतिशत	98,842.62

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 27)

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2015 - 16 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	37.26	10.62	2011-12
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड	10.89	35.32	2014-15
3.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,776.81	281.77	2014-15
4.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,780.49	16,309.78	2014-15
5.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,421.77	12,719.03	2014-15
6.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	108.77	2014-15
7.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	12.40	2014-15
8.	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.05	2014-15
9.	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	40.29	2013-14
कुल		6,231.99	29,518.03	

परिशिष्ट 1.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2013-14	6,332.83	5,886.37	-	-	6,494.56	161.73	386.35	548.08	9.31
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2010-11	774.86	726.80	502.76	8.34	713.81	(-)295.54	28.00	(-)267.54	-
कुल			7,126.48	6,636.44	502.85	8.35	7,217.31	(-) 131.95	415.78	283.83	31.73

परिशिष्ट 1.9
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1	कुण्डली - मानेसर - पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस - वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2015	फरवरी 2018. कुण्डली - मानेसर सैक्शन पी.पी.पी. मोड पर निष्पादित किया जा रहा है। मानेसर - पलवल सैक्शन आइटम रेट मोड पर निष्पादित किया गया था तथा अप्रैल 2016 से यातायात के लिए खोल दिया गया है।
2	मनोरंजन पार्क गुड़गांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	परियोजना का 70 प्रतिशत पूर्ण किया गया। होटल ब्लॉक का 50 प्रतिशत सितंबर 2011 में परिचालनात्मक बनाया गया।
3	मेट्रो सिकन्दरपुर से सैक्टर - 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक का विकास	हुडा	2,143.00	बी.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	दिसंबर 2016
4	हरियाणा के चयनित जिला अस्पतालों में हीमोडायलिसिस का प्रावधान	स्वास्थ्य	--	डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.	-	एच.आई.डी.बी. की कार्यकारी समिति द्वारा आर.एफ.पी. दस्तावेज अनुमोदित किया गया।
5	फरीदाबाद तथा गुड़गांव यू.एल.बी.जे. से समायुक्त फरीदाबाद क्लस्टर के लिए एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (संग्रहण, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एवं निपटान) का विकास	शहरी स्थानीय निकाय	--	डी.बी.एफ.ओ. एंड एम.	-	27 जनवरी 2016 को आयोजित सी.ओ.एस.आई. की बैठक में विचार किया गया तथा अनुमोदित बोलियां विभाग द्वारा आमंत्रित की जा रही हैं।
6	मेवात जिले में पेव्ड सोल्डर सहित 2 लेन फिरोजपुर झिरका बिवान मार्ग (14.28 कि.मी.) का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	94.00	बी.ओ.टी.	-	सी.ओ.एस.आई. द्वारा बोली वाले दस्तावेजों के अनुमोदन के पश्चात् बोलियां आमंत्रित की गईं तथा विभाग द्वारा खोली गईं थी। चूंकि प्रस्तावित न्यूनतम रियायत अवधि 10 वर्ष से अधिक थी, मामला पुनः 08 अप्रैल 2016 को आयोजित बैठक में सी.ओ.एस.आई. के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था।
कुल			4,330.00			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

2015-16 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
1	04 - राजस्व 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	976.04	80- सामान्य, 800-अन्य व्यय, 96-पेस्ट अटैक/लैंड स्लाइड, बादल फटने इत्यादि के लिए नकद अनुदान
2	20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.57	60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 102-सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन, 97- वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, परित्यक्त महिलाओं एवं विधवाओं के लिए पेंशन
3	24 - सिंचाई	0.23	01-बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
4	2700 - मुख्य सिंचाई	2.73	02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
5		0.42	04-लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
6		3.23	04- लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
7		0.17	04- लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
8		0.26	04- लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
9		0.36	05- जवाहर लाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
10		2.74	05- जवाहर लाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
11		0.14	05- जवाहर लाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
12		0.22	05- जवाहर लाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
13		1.00	18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
14		5.70	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
15		55.87	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
16		4.67	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
17		25.00	80- सामान्य, 800- अन्य व्यय, 97-रेणुका बांध परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा
18	4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	07- सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
19		0.86	07- सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
20		7.55	13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
21		40.94	13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
22		1.89	13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
23		2.71	13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
24		0.13	14- दादूपुर नलवी सिंचाई प्रोजेक्ट, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
25		0.69	14- दादूपुर नलवी सिंचाई प्रोजेक्ट, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा मुख्य शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
26		0.56	15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
27		3.01	15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
28	4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.14	15-चैनलों की लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
29		0.20	15- चैनलों की लाईनिंग, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
30		6.73	16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
31		36.48	16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
32		1.68	16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
33		2.41	16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
34		0.17	07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार
35		13.95	07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
36		88.42	07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
37		5.56	07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
38		8.44	07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
39		2.26	19-कौशलया डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
40		14.27	19- कौशलया डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
41		0.90	19- कौशलया डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
42		1.37	19- कौशलया डैम, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
43		0.71	23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
44		4.50	23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
45	0.28	23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता	
46	0.43	23- राज्य में जल निकायों का विकास, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता	
47	0.95	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व	
48	6.01	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता	
49	0.38	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता	
50	0.58	80- सामान्य, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता	
51	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.13	01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 88- पेंशनरी प्रभार
52		7.69	01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 89- विशेष राजस्व
53		67.31	01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 91- कार्यकारी अभियंता
54		3.13	01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 92- अधीक्षण अभियंता
55		4.47	01- बाढ़ नियंत्रण, 001- निदेशन एवं प्रशासन, 93- मुख्य अभियंता
	कुल	1,417.40	

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 41)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्षण
राजस्व (दत्तमत)							
1	6- वित्त	5,971.82	-	5,971.82	5,469.17	502.65	502.44
2	7- आयोजना एवं सांख्यिकी	407.82	0.63	408.45	170.71	237.74	237.75
3	8- भवन एवं सड़कें	1,228.79	-	1,228.79	1,069.61	159.18	184.35
4	9- शिक्षा	11,440.66	159.90	11,600.56	9,283.30	2,317.26	2,322.79
5	13- स्वास्थ्य	2,989.03	47.74	3,036.77	2,489.62	547.15	545.95
6	15-स्थानीय शासन	2,217.19	1,048.62	3,265.81	1,858.11	1,407.70	1,407.70
7	19-एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण	365.19	291.61	656.80	333.60	323.20	323.83
8	20- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,630.57	0.14	3,630.71	3,418.77	211.94	212.57
9	21- महिला एवं बाल विकास	981.34	9.19	990.53	722.29	268.24	268.72
10	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	318.05	56.00	374.05	251.31	122.74	122.74
11	24- सिंचाई	1,717.22	-	1,717.22	1,358.06	359.16	165.79
12	27- कृषि	1,240.57	145.50	1,386.07	1,011.88	374.19	372.79
13	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	666.06	32.96	699.02	527.14	171.88	171.81
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,945.76	1.94	2,947.70	2,132.16	815.54	833.44
15	34- परिवहन	2,055.27	-	2,055.27	1,795.44	259.83	260.64
16	36-मृह	2,914.36	-	2,914.36	2,757.42	156.94	153.96
17	38-जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,637.33	168.58	1,805.91	1,654.14	151.77	173.25
18	40-ऊर्जा एवं विद्युत	5,676.25	4,716.16	10,392.41	10,247.61	144.80	122.26
	कुल	48,403.28	6,678.97	55,082.25	46,550.34	8,531.91	8,382.78
राजस्व (भारित)							
19	6- वित्त	9,118.75	699.38	9,818.13	8,574.97	1,243.17	222.79
	कुल	9,118.75	699.38	9,818.13	8,574.97	1,243.17	222.79
पूँजीगत (दत्तमत)							
20	8- भवन एवं सड़कें	2,432.77	257.63	2,690.40	2,494.22	196.18	195.72
21	14-शहरी विकास	1,025.00	-	1,025.00	218.06	806.94	808.87
22	21- महिला एवं बाल विकास	213.75	-	213.75	44.92	168.82	169.20
23	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	9,369.37	-	9,369.37	7,344.28	2,025.09	2,067.92
24	38- जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,034.22	124.90	1,159.12	835.42	323.70	267.21
25	45- ऋण एवं अग्रिम	1,366.77	12,328.36	13,695.13	13,250.30	444.83	636.74
	कुल	15,441.88	12,710.89	28,152.77	24,187.2	3,965.56	4,145.66
पूँजीगत (भारित)							
26	लोक ऋण	10,035.51	-	10,035.51	7,214.68	2,820.83	2,820.83
	कुल	10,035.51	-	10,035.51	7,214.68	2,820.83	2,820.83
	कुल योग	82,999.42	20,089.24	1,03,088.66	86,527.19	16,561.47	15,572.06

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 42)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों में से बचतें
राजस्व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन	201.33	20.92	197.12	25.13
2	5-आबकारी एवं कराधान	207.79	2.98	165.29	45.48
3	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	407.82	0.63	170.71	237.74
4	9- शिक्षा	11,440.66	159.90	9,283.30	2,317.26
5	10-तकनीकी शिक्षा	464.72	9.00	380.25	93.47
6	11- खेल एवं युवा कल्याण	265.90	50.00	231.47	84.43
7	13- स्वास्थ्य	2,989.03	47.74	2,489.62	547.15
8	15- स्थानीय शासन	2,217.19	1,048.62	1,858.11	1,407.70
9	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	241.54	8.50	219.65	30.39
10	19-एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण	365.19	291.61	333.60	323.20
11	21- महिला एवं बाल विकास	981.34	9.19	722.29	268.24
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	318.05	56.00	251.31	122.74
13	27- कृषि	1,240.57	145.50	1,011.88	374.19
14	28-पशुपालन और डेयरी विकास	666.06	32.96	527.14	171.88
15	30- वन एवं वन्य जीवन	400.13	1.64	324.85	76.92
16	32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,945.76	1.94	2,132.16	815.54
17	37-निर्वाचन	58.91	12.22	55.64	15.49
18	42-न्याय प्रशासन	435.14	22.20	403.96	53.38
19	43-जेल	182.05	7.00	179.39	9.66
उप-योग		26,029.18	1,928.55	20,937.74	7,019.99
राजस्व (भारित)					
20	6- वित्त	9,118.75	699.38	8,574.97	1,243.16
उप-योग		9,118.75	699.38	8,574.97	1,243.16
पूँजीगत (दत्तमत)					
21	38- जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,034.22	124.90	835.42	323.70
उप-योग		1,034.22	124.90	835.42	323.70
कुल योग		36,182.15	2,752.83	30,348.13	8,586.85

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 42)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1	1	विधान सभा	2011- संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02- स्टेट/यू.टी. विधायिका 101- विधानसभा 99- स्थापना	(ओ) 10.72 (आर) 0.62 11.34	9.83	(-) 1.51
2	2	राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013- मंत्री परिषद 105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	(ओ) 82.98 (एस) 13.00 (आर) (-) 8.17 87.81	86.34	(-) 1.47
3			2013- मंत्री परिषद 800- अन्य व्यय 99- मंत्रियों के आवासों/कार्यालयों का रख-रखाव	(ओ) 10.02 (एस) 1.66 (आर) 0.51 12.19	13.22	(+) 1.03
4	3	सामान्य प्रशासन	2051- लोक सेवा आयोग 103- कर्मचारी चयन आयोग 99- स्थापना	(ओ) 6.29 (एस) 17.94 (आर) (-) 14.45 9.78	17.93	(+) 8.15
5	4	राजस्व	2030- स्टॉम्पस एवं पंजीकरण 02- स्टॉम्पस - गैर न्यायिक 102- स्टॉम्पस की बिक्री पर व्यय 99- चैकिंग स्टॉफ	(ओ) 4.50 (आर) (-) 3.74 0.76	3.29	(+) 2.53
6			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02 - बाढ़, तूफान आदि 101- आनुग्रहिक राहत 97- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 55.00 (आर) (-) 54.87 0.13	22.09	(+) 21.96
7			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 98- अग्नि पीड़ितों को राहत	(ओ) 5.00 (आर) (-) 4.41 0.59	10.59	(+) 10.00
8			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- ओलावृष्टि राहत/शीत लहर/पाला राहत	(ओ) 60.50 (एस) 372.09 (आर) 25.83 458.42	1140.21	(+) 681.79
9	6	वित्त	2049- ब्याज भुगतान 05- रिजर्व फंड पर ब्याज 101- मूल्यहास नवीकरण रिजर्व फंड में ब्याज 98- मूल्यहास रिजर्व फंड (मोटर परिवहन)	(ओ) 32.14 (आर) (-) 4.23 27.91	32.14	(+) 4.23
10	8	भवन एवं सड़कें	2059- लोक निर्माण 80- सामान्य 052- मशीनरी तथा उपकरण 96- मशीनरी	(ओ) 5.00 (आर) (-) 2.63 2.37	0.74	(-) 1.63

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
11			2059- लोक निर्माण 80- सामान्य 799- उर्चत 99- स्टॉक 99- स्टॉक को डेबिट	(ओ) 5.50 (आर) 6.59 12.09	25.51	(+) 13.42
12			3054- सड़कें एवं भवन 01- राष्ट्रीय राजमार्ग 337- सड़क कार्य 98- हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क उपयोगकर्त्ताओं को टोल प्रभारों की राहत	(ओ) 6.00 (आर) (-) 4.19 1.81	3.00	(+) 1.19
13			3054- सड़कें एवं भवन 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें	(ओ) 40.11 (आर) (-) 15.20 24.91	26.72	(+) 1.81
14			3054- सड़कें एवं भवन 80- सामान्य 797- रिजर्व फंड/डिपोजिट अकाउंट को/से हस्तांतरण 99- सी.आर.एफ. से हस्तांतरण - अन्तः लेखा हस्तांतरण	(ओ) 75.00 (आर) (-) 32.58 42.42	78.65	(+) 36.23
15			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01- कार्यालय भवन 051- निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 100.00 (आर) (-) 2.51 97.49	100.07	(+) 2.58
16			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य भवन 051- निर्माण 96- जेलें	(ओ) 25.00 (आर) 17.95 42.95	38.60	(-) 4.35
17			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य भवन 051- निर्माण 98- न्याय प्रशासन	(ओ) 60.00 (आर) (-) 13.07 46.93	52.66	(+) 5.73
18			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य भवन 051- निर्माण 99- लोक निर्माण	(ओ) 25.00 (आर) (-) 0.73 24.27	25.77	(+) 1.50
19			4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 202- माध्यमिक शिक्षा 99- माध्यमिक स्कूल भवन	(ओ) 15.00 (आर) (-) 2.17 12.83	14.10	(+) 1.27
20			4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 203- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा 99- कालेज भवन	(ओ) 102.00 (आर) 23.31 125.31	123.53	(-) 1.78
21			4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02- तकनीकी शिक्षा 104- बहुतकनीकी 99- बहुतकनीकी भवन	(ओ) 40.00 (आर) (-) 9.26 30.74	32.16	(+) 1.42

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
22			4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 98- अनुसूचित जाति विंगों के लिए प्रशिक्षण भवन	(ओ) 15.00 (आर) 7.26 22.26	18.94	(-)3.32
23			4250- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 94-औद्योगिक प्रशिक्षणों के विकास की मूलभूत संरचना का सृजन	(ओ) 65.00 (आर) (-) 14.87 50.13	53.09	(+) 2.96
24			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49-प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 89- करनाल परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 38.30 (आर) (-) 6.97 31.33	44.53	(+) 13.20
25			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 90- झज्जर परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 39.00 (आर) (-) 7.22 31.78	45.18	(+) 13.40
26			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 91- सोनीपत परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 43.00 (आर) (-) 7.86 35.14	49.94	(+) 14.80
27			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 99- रोहतक परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 4.10 (आर) (-) 0.76 3.34	4.74	(+) 1.40
28			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 93- रेवाड़ी परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 13.15 (आर) (-) 2.41 10.74	15.28	(+) 4.54
29			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 94- कैथल परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 34.30 (आर) (-) 6.30 28.00	39.82	(+) 11.82
30			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 95- हिसार परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 23.15 (आर) (-) 4.20 18.95	26.93	(+) 7.98
31			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.मं.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 96- गुडगांव परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 24.65 (आर) (-) 4.51 20.14	28.62	(+) 8.48

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
32			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.म.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 97- चण्डीगढ़ परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 21.70 (आर) (-) 3.97 17.73	25.20	(+) 7.47
33			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 49- प्र.म.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 98- भिवानी परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 6.85 (आर) (-) 1.27 5.58	9.49	(+) 3.91
34			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 337- सड़क कार्य 49- प्र.म.ग्रा.स.यो. के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 99- अंबाला परिमंडल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	(ओ) 24.80 (आर) (-) 4.54 20.26	27.26	(+) 7.00
35			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 337- सड़क कार्य 98- ग्रामीण सड़कें 99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों के बाई-पासों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	(ओ) 323.30 (आर) 70.95 394.25	391.15	(-)3.10
36			5054- सड़कों एवं भवनों पर पूंजीगत परिव्यय 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें 99- राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	(ओ) 57.50 (आर) (-) 19.06 38.44	35.35	(-)3.09
37	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 01- प्राथमिक शिक्षा 101- सरकारी प्राथमिक स्कूल 98- मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII 98- स्थापना व्यय	(ओ) 2334.96 (आर) (-) 313.56 2021.40	2023.31	(+) 1.91
38			2202- सामान्य शिक्षा 02- माध्यमिक शिक्षा 109- सरकारी माध्यमिक स्कूल 99- अन्य स्थापना सहित टीचिंग स्टॉफ 98- स्थापना व्यय	(ओ) 1537.48 (आर) (-) 389.40 1148.08	1150.86	(+) 2.78
39	13	स्वास्थ्य	2211- परिवार कल्याण 101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 98- उप-केंद्र	(ओ) 116.50 (आर) (-) 13.50 103.00	101.44	(-)1.56
40	14	शहरी विकास	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य शहरी विकास स्कीमें 051- निर्माण 97- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 52.00 (आर)24.97 76.97	79.10	(+) 2.13
41	15	स्थानीय शासन	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 192- नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता 92- नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 220.00 (आर) (-) 106.70 113.30	114.55	(+) 1.25

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
42			2217-शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायतानुदान	(ओ) 5.50 (आर) 1.00 6.50	5.25	(-)1.25
43	23	खाद्य आपूर्ति	4408- खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-प्रापण एवं आपूर्ति 98- प्रभार्य स्थापना लागत	(ओ) 109.46 (आर) (-)46.16 63.30	119.60	(+)56.30
44			4408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101- प्रापण एवं आपूर्ति 99- अनाज आपूर्ति स्कीम	(ओ) 8589.91 (आर) (-)1587.16 7002.75	6989.28	(-)13.47
45	24	सिंचाई	2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 24.78 (आर) (-)6.44 18.34	0.91	(-)17.43
46			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 90.85 (आर) (-)17.91 72.94	3.89	(-)69.05
47			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 3.09 (आर) (-)0.92 2.17	0.17	(-) 2.00
48			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण एवं मरम्मत 98- अन्य अनुरक्षण व्यय 98-पंजाब का हिस्सा	(ओ) 2.35 (आर) (-)0.49 1.86	-	(-) 1.86
49			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 48.18 (आर) (-)12.87 35.31	4.36	(-)30.95
50			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 382.97 (आर) (-)92.43 290.54	33.49	(-)257.05
51			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 25.08 (आर) (-)7.78 17.30	1.75	(-)15.55
52			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण एवं मरम्मत 98- अन्य अनुरक्षण व्यय	(ओ) 36.00 (आर) (-)0.23 35.77	34.21	(-)1.56
53			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 36.00 (आर) (-)3.48 32.52	35.96	(+)3.44

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
54			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 44.66 (आर) (-)5.04 39.62	10.33	(-)29.29
55			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 6.15 (आर) (-)2.97 3.18	0.64	(-)2.54
56			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 4.19 (आर) (-)0.24 3.95	0.97	(-)2.98
57			2700- मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 35.21 (आर) (-)6.88 28.33	6.89	(-)21.44
58			4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग s 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- पुनरूद्धार कैनल नेटवर्क - राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 36.60 (आर) (-)8.44 28.16	3.82	(-)24.34
59			4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग s 800- अन्य व्यय 98- कैनल का निर्माण	(ओ) 53.40 (S)50.00 (आर) (-)52.30 51.10	58.38	(+)7.28
60			4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15- चैनलों की लाईनिंग 800- अन्य व्यय 98- बी.एम.एल. की भण्डारण क्षमता	(ओ) 7.00 (आर) (-)2.43 4.57		(-)4.57
61			4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्य एवं पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 30.00 (आर) (-)4.36 25.64	4.79	(-)20.85
62			4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16- विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 800- अन्य व्यय 98- कैनल का निर्माण	(ओ) 30.00 (आर) (-)3.83 26.17	50.63	(+)24.46
63			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर 800- अन्य व्यय 97- भूमि की वार्षिकी	(ओ) 10.00 (आर) (-)1.02 8.98	17.40	(+)8.42
64			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06- जल के समान वितरण हेतु नई माईनर 800- अन्य व्यय 98- कैनल का निर्माण	(ओ) 19.00 (आर) (-)12.77 6.23	14.57	(+)8.34

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
65			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी. एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 69.50 (आर) (-)15.35 54.15	25.38	(-)28.77
66			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 98-(नाबार्ड) कैनल का निर्माण	(ओ)80.50 (आर) (-)17.27 63.23	94.23	(+)31.00
67			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 98-न्यायालय आदेशों के अंतर्गत वृद्धित मुआवजे का भुगतान	(ओ) 50.00 (R) 20.00 70.00	65.01	(-)4.99
68			4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 201- ड्रेनेज एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98- शहरी स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य	(ओ) 20.00 (आर) (-)0.70 19.30	15.73	(-)3.57
69	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं सुपुर्दगी 200- अन्य विविध मुआवजे एवं सुपुर्दगी 95- देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आवकारी शुल्क की सुपुर्दगी	(ओ) 58.10 (आर) (-)0.06 58.04	75.55	(+)17.51
70	36	गृह	2055- पुलिस 109- जिला पुलिस 99- जिला पुलिस बल	(ओ) 2027.18 (आर) (-)26.38 2000.80	1997.90	(-)2.90
71	38	जन - स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का अनुरक्षण 98-अनुरक्षण प्रभार	(ओ) 80.00 (आर) 10.94 90.94	79.31	(-)11.63
72			2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 96-शहरी स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्यों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	(ओ) 5.15 (आर) (-)2.40 2.75	5.13	(+)2.38
73			2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 95-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 16.82 (आर) (-)12.36 4.46	5.56	(+)1.10
74			2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 531.52 (एस)122.58 (आर) (-)7.44 646.66	653.62	(+)6.96
75			2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 799- उंचत 98-विनिर्माता उंचत 98- विनिर्माता उंचत को क्रेडिट	(ओ)3.30 (आर) (-)2.51 0.79	1.89	(+)1.10
76			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति 99-शहरी जलापूर्ति 97- टी.एफ.सी. (शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा)	(ओ) (एस)58.80 (आर) (-)21.61 37.19	29.77	(-)7.42

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
77			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789- एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 94- टी.एफ.सी. शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान	(ओ)15.18 (एस) 5.28 (आर) 20.46	15.93	(-)4.53
78			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं 90- राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान	(ओ)34.95 (एस)30.00 (आर) (-)19.13 45.82	37.95	(-)7.87
79			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं 94- सीवरेज एवं स्वच्छता	(ओ)250.00 (आर) 34.09 284.09	255.09	(-)29.00
80			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान 99-शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य निवासों को सीवरेज सुविधाएं	(ओ)9.00 (आर)5.67 14.67	6.55	(-)8.12
81	42	न्याय प्रशासन	2014- न्याय प्रशासन 102- उच्च न्यायालय 98- स्थापना 98- स्थापना व्यय	(ओ)90.41 (एस)3.39 (आर) 3.23 97.03	100.13	(+)3.10
82	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6401-फसलपालन हेतु ऋण 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण 98- हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए प्राईवेट शुगर मिलों को वित्तीय सहायता	(ओ) (एस)187.00 (आर) (-)13.71 173.29	40.13	(-)133.16
कुल				16752.77	17044.08	(+)291.31 (+)1071.26 (-)779.95

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	45	(+) 1,071.26
विनियोजन में से बचत (-)	37	(-) 779.95
कुल	82	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 6, 11, 24, 25, 26, 29, 62 तथा 69	8	140.57
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 44, 45, 51, 57, 58, 61 तथा 71	7	103.27
कुल	15	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 8, 14, 43 तथा 66	4	805.32
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 46, 49, 50, 54, 65, 79, 82	7	577.27
कुल	11	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

मार्च 2016 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्ण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचते/आधिक्य (-)	अभ्यर्णित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	1 - विधान सभा	65.56	0.00	65.56	51.93	-13.63	12.09
2	2 - राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	106.52	18.36	124.88	112.44	-12.44	12.01
3	3 - सामान्य प्रशासन	201.33	20.92	222.25	197.12	-25.13	32.56
4	4 - राजस्व	1,002.43	411.26	1,413.69	2,612.94	1,199.25	492.91
5	5 - आबकारी एवं कराधान	207.79	2.98	210.77	165.29	-45.48	45.99
6	6 - वित्त	5,971.82	0.00	5,971.82	5,469.17	-502.65	502.44
7	7 - आयोजना एवं सांख्यिकी	407.82	0.63	408.45	170.71	-237.74	237.75
8	8 - भवन एवं सड़कें	1,228.79	0.00	1,228.79	1,069.61	-159.18	184.35
9	9 - शिक्षा	11,440.66	159.90	11,600.56	9,283.30	-2,317.26	2,322.79
10	10 - तकनीकी शिक्षा	464.72	9.00	473.72	380.25	-93.47	93.53
11	11 - खेल एवं युवा कल्याण	265.90	50.00	315.90	231.47	-84.43	84.91
12	13 - स्वास्थ्य	2,989.03	47.74	3,036.77	2,489.62	-547.15	545.95
13	14 - शहरी विकास	168.39	0.00	168.39	105.33	-63.06	63.01
14	15 - स्थानीय शासन	2,217.19	1,048.62	3,265.81	1,858.11	-1,407.70	1,407.70
15	16 - श्रम	48.47	0.47	48.94	38.00	-10.94	10.94
16	17 - रोजगार	78.77	0.00	78.77	49.15	-29.62	29.63
17	18 - औद्योगिक प्रशिक्षण	241.54	8.50	250.04	219.65	-30.39	31.25
18	19 - एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	365.19	291.61	656.80	333.60	-323.20	323.83
19	20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,630.57	0.14	3,630.71	3,418.77	-211.94	212.57
20	21 - महिला एवं बाल विकास	981.34	9.19	990.53	722.29	-268.24	268.72
21	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	318.05	56.00	374.05	251.31	-122.74	122.74
22	24 - सिंचाई	1,717.22	0.00	1,717.22	1,358.06	-359.16	165.79
23	25 - उद्योग	126.21	0.00	126.21	55.88	-70.33	70.31
24	27 - कृषि	1,240.57	145.50	1,386.07	1,011.88	-374.19	372.79
25	28 - पशुपालन और डेयरी विकास	666.06	32.96	699.02	527.14	-171.88	171.81
26	30 - वन एवं वन्य जीवन	400.13	1.64	401.77	324.85	-76.92	76.51
27	32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,945.76	1.94	2,947.70	2,132.16	-815.54	833.44
28	33 - सहकारिता	217.55	100.02	317.57	279.09	-38.48	38.47
29	34 - परिवहन	2,055.27	0.00	2,055.27	1,795.44	-259.83	260.64
30	36 - गृह	2,914.36	0.00	2,914.36	2,757.42	-156.94	154.02
31	37 - निर्वाचन	58.91	12.22	71.13	55.64	-15.49	15.35
32	38 - जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,637.33	168.58	1,805.91	1,654.14	-151.77	173.25
33	39 - सूचना एवं प्रचार	120.74	0.00	120.74	108.18	-12.56	12.57
34	40 - ऊर्जा एवं विद्युत	5,676.25	4,716.16	10,392.41	10,247.61	-144.80	122.26
35	41 - इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	55.58	0.00	55.58	31.34	-24.24	24.24
36	42 - न्याय प्रशासन	435.14	22.20	457.34	403.96	-53.38	52.63
37	43 - जेलें	182.05	7.00	189.05	179.39	-9.66	10.29
कुल		52,851.01	7,343.54	60,194.55	52,152.24	-8,042.31	9,592.04

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचते/आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (भारित)							
38	6-वित्त	9,118.75	699.38	9,818.13	8,574.97	-1,243.16	222.79
कुल		9,118.75	699.38	9,818.13	8,574.97	-1,243.16	222.79
पूँजीगत (दत्तमत)							
39	8-भवन एवं सड़कें	2,432.77	257.63	2,690.40	2,494.22	-196.18	195.72
40	9-शिक्षा	27.20	0.00	27.20	15.71	-11.49	11.49
41	14-शहरी विकास	1,025.00	0.00	1,025.00	218.06	-806.94	808.87
42	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	46.72	0.00	46.72	31.97	-14.75	14.74
43	21-महिला एवं बाल विकास	213.75	0.00	213.75	44.92	-168.83	169.20
44	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,369.37	0.00	9,369.37	7,344.28	-2025.09	2067.92
45	24-सिंचाई	550.20	50.00	600.20	811.20	211.00	166.18
46	28-पशुपालन और डेयरी विकास	20.00	0.00	20.00	9.59	-10.41	10.41
47	33-सहकारिता	54.95	61.56	116.51	88.57	-27.94	27.94
48	34-परिवहन	210.85	0.00	210.85	131.00	-79.85	79.85
49	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,034.22	124.90	1,159.12	835.42	-323.70	267.21
50	45-ऋण एवं अग्रिम	1,366.77	12,328.36	13,695.13	13,250.30	-444.83	636.74
कुल		16,351.8	12,822.45	29,174.25	25,275.24	-3899.01	4456.27
पूँजीगत (भारित)							
51	लोक ऋण भारत	10035.51	0	10,035.51	7,214.68	-2,820.83	2,820.83
कुल		10035.51	0	10,035.51	7,214.68	-2,820.83	2,820.83
कुल योग		88,357.07	20,865.37	1,09,222.44	93,217.13	(-)14,595.06 (+)1,410.25	17,091.93

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 43)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2016 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	02- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013- मंत्री परिषद	112.44	67.36	59.91	58.38	52
2	03- सामान्य प्रशासन	2051-लोक सेवा आयोग	25.30	16.47	65.10	10.13	40
3	06- वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएं	28.49	28.44	99.81	28.43	100
4	07- आयोजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	154.70	100.07	64.68	73.53	48
5	08- भवन एवं सड़क	3054- सड़कें एवं भवन	818.71	422.23	51.57	350.17	43
6	14-शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	218.06	113.7	52.14	85.33	39
7	21- महिला एवं बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	44.92	34.26	76.27	28.49	63
8	24- सिंचाई	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	439.82	279.77	63.61	257.88	59
9	24- सिंचाई	4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	231.21	152.57	65.99	130.7	57
10	24- सिंचाई	2701- मध्यम सिंचाई	208.98	186.16	89.08	181.21	87
11	33- सहकारिता	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	87.11	68.16	78.24	18.48	21
12	37- निर्वाचन	2015- निर्वाचन	55.64	37.17	66.8	24.29	44
13	40- ऊर्जा एवं विद्युत	2801- विद्युत	10,216.5	5,907.18	57.82	4,774.18	47
14	40- ऊर्जा एवं विद्युत	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,597.5	1,462.51	91.55	1,387.51	87
कुल			14,239.38	8,876.05	62.33	7,408.71	52

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	59	0.44
2.	भिवानी	316	2.96
3.	चण्डीगढ़	14	0.05
4.	फरीदाबाद	245	3.38
5.	फतेहाबाद	3	1.47
6.	गुडगांव	83	2.65
7.	हिसार	218	2.80
8.	जगाधरी	49	0.44
9.	झज्जर	31	2.75
10.	जींद	6	0.03
11.	कैथल	41	0.25
12.	करनाल	288	3.88
13.	कुरूक्षेत्र	7	0.33
14.	नारनौल	54	0.32
15.	नूंह	22	0.36
16.	पानीपत	59	0.45
17.	पंचकुला	59	0.24
18.	रेवाड़ी	119	0.91
19.	रोहतक	79	0.68
20.	सिरसा	41	1.53
21.	सोनीपत	73	0.53
कुल		1,866	26.45

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक बढ़ गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि	अनाजों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण	5.50	4.00	5.50	138
2.	सामुदायिक विकास	सी.सी. गलियों का फुटपाथ	20.00	9.60	19.41	202
3.	पंचायतें	पी.आर.आईज के लिए वेट पर सरचार्ज	206.62	169.42	206.62	122
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान प्रसिद्धीकरण/उन्नयन कार्यक्रम	1.00	1.00	1.49	149
5.	माध्यमिक शिक्षा	बुक बैंक	3.50	1.50	2.29	153
6.	उच्चतर शिक्षा	निदेशालय में कालेज में महिला सैल की स्थापना करना एवं छात्राओं के लिए शैक्षणिक एवं भ्रमण टूर	1.00	0.50	0.65	130
7.		छात्रों के लिए शैक्षणिक एवं भ्रमण टूर	1.00	0.50	0.68	136
8.		नए कार्य तथा चालू कालेजों/होस्टल भवनों का निर्माण और सरकारी कालेजों एवं होस्टलों का अनुरक्षण	102.00	102.00	127.23	125
9.	खेल	राज्य खेल परिषद्	5.00	0.10	4.52	4520
10.	जन-स्वास्थ्य अभियानिकी	ग्रामीण: इंदिरा गांधी पेयजल आपूर्ति	10.00	8.25	9.86	120
11.		शहरी: सीवरेज एवं स्वच्छता	250.00	175.30	215.06	123
12.	पुलिस	पुलिस स्टेशनों का निर्माण/प्रमुख निर्माण कार्य	95.67	94.45	134.78	143
13.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय परियोजना/गृह, रोहतक (सिरतार)	3.25	2.00	2.57	128
कुल			704.54	568.62	730.66	128.50

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1.	कृषि	कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	3.55	--	--
2.	कृषि	कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	10.00	--	--
3.	बागवानी	लघु सिंचाई/सस्टेनेबल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	58.80	--	--
4.	बागवानी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (सी.एस.एस.)	26.00	--	--
5.	बागवानी	चिकित्सीय पौधों पर मिशन सहित आयुष पर राष्ट्रीय मिशन (100)	3.00	--	--
6.	वन	राज्य वन विकास एजेंसी (रा.व.वि.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं वानिकी/वनीकरण गतिविधियां (100)	20.00	--	--
7.	ग्रामीण विकास	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	75.00	--	--
8.	सामुदायिक विकास	निर्मल ग्राम पुरस्कार	1.00	--	--
9.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	ग्रीन एनर्जी एवं ऊर्जा संरक्षण निधि	7.04	--	--
10.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	ग्रामीण क्षेत्र के लिए एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम	1.00	--	--
11.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	विकेंद्रीकृत सोलर पावर पैक/प्लांट का डैमोस्ट्रेंटिंग एप्लीकेशन (ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक)	4.35	--	--
12.	उद्योग	हैंडलूम क्लॉथ की बिक्री पर हैंडलूम एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की दर पर एक बार छूट की प्रतिपूर्ति (100)	2.00	--	--
13.	नागर विमानन	प्रशिक्षक/आधुनिक प्रशिक्षक एयरक्राफ्ट का प्रापण	2.00	--	--
14.	माध्यमिक शिक्षा	किसान आदर्श विद्यालय की स्थापना करना	3.18	--	--
15.	माध्यमिक शिक्षा	डा. राधा कृष्ण लैब स्कूल की स्थापना करना	2.52	--	--
16.	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षक प्रशिक्षण एवं युवा शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए सहायता	13.00	--	--
17.	माध्यमिक शिक्षा	बेहतरी के मापदण्ड के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 माडल स्कूलों की स्थापना करना	10.00	--	--
18.	उच्चतर शिक्षा	निदेशालय के प्रिंसीपलों, लैक्चरारों/कर्मचारियों, लिपिकवर्गीय संवर्ग एवं सहायक स्टाफ का मानव संसाधन विकास	1.00	--	--
19.	कला एवं संस्कृति	भवन पुरातत्व	20.00	--	--
20.	तकनीकी शिक्षा	निपट परियोजना हेतु	15.00	--	--
21.	तकनीकी शिक्षा	किलोहर्ड, सोनीपत में आई.आई.टी. की स्थापना	10.00	--	--

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
22.	स्वास्थ्य	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना (अरोग्य कोष) (अनुसूचित जाति के लिए)	1.00	--	--
23.	आयुष	पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल खोलना/स्थापन	5.20	--	--
24.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	कार्यालय भवन/आवासों का निर्माण	5.00	--	--
25.	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	अध्ययन करने के लिए	1.00	--	--
26.	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	वाई.एम.सी.ए. चौक फारीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मेट्रो विस्तार	27.50	--	--
27.	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	द्वारका से इफको चौक, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक	50.00	--	--
28.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वृद्धों तथा असक्तों के लिए घर (रेवाड़ी)	1.00	--	--
29.	महिला एवं बाल कल्याण	रेप पीड़ित के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाओं की स्कीम (100)	2.00	--	--
30.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	रोजगार भवन	1.40	--	--
31.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए होस्टल का निर्माण	2.50	--	--
32.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	बी.सी. एवं अल्प संख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	1.70	--	--
		कुल	386.74		

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1.	भू- अभिलेख	राष्ट्रीय भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम- भू- अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (100)	2.69	0.20
2.	पंचायतें	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (रा.गां.पं.स.यो.)	66.50	40.00
3.	सिंचाई	हांसी ब्रांच के साथ बी.एम.एल. की लिकिंग	1.00	0.50
4.		कैनाल हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट का निर्माण	4.70	0.10
5.		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी)	13.50	0.02
6.	उद्योग	डी.आई.सी./क्यू.एम.सी./एच.टी.सी./आई.डी.सी./निदेशालय कार्यालय परिसरों का निर्माण, उन्नयन तथा अनुरक्षण	7.40	4.00
7.	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस एक्शन प्लान	24.00	12.00
8.	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	मशीनरी एवं उपकरण	4.00	0.01
9.	उच्चतर शिक्षा	राज्य में शिक्षा सिटी (एज्यूसेट) की स्थापना	1.00	0.10
10.	खेल	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (प.यु.क्री.खे.अ.) / राजीव गांधी खेल अभियान (सी.एस.एस.)	20.00	4.00
11.	स्वास्थ्य	सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का सुदृढीकरण	1.40	0.10
12.	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी सोलिड वेस्ट प्रबंधन	55.00	16.50
13.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	3.00	0.48
14.		अनुसूचित जातियों की 50 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (100)	5.00	1.00
15.	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट काम्पलैक्स के लिए प्लॉट की खरीद	2.00	0.10
16.	सामाजिक न्याय एवं	पूँजीगत	9.00	1.00
17.	अधिकारिता	अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री- मैट्रिक स्कालरशिप (100)	6.80	1.60
18.	महिला एवं बाल विकास	स्वैच्छिक सैक्टर का सुदृढीकरण	1.00	0.50
19.		राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन (सी.एस.एस.)	1.05	0.01
20.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	स्किल विकास मिशन	3.00	0.58
कुल			232.04	82.80

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1.	सहकारिता	विपणन सहकारिताओं की शेयर पूंजी को सरकारी अंशदान (100)	1.00	1.00
2.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	अनुसूचित जाति परिवारों के इंदिरा आवास योजना निवासियों के लिए शिक्षादीप स्कीम/सोलर सिस्टम	1.50	1.50
3.	उद्योग	निर्यात के लिए मूलभूत संरचना विकास हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) (100)	30.00	30.00
4.	प्राथमिक शिक्षा	स्कूलों में स्वच्छ एवं स्वस्थ शिक्षण पर्यावरण प्रदान करना	2.00	2.00
5.	माध्यमिक शिक्षा	सरकारी विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन	2.00	2.00
6.	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	1.00	1.00
7.	तकनीकी शिक्षा	बहुतकनीकियों में महिला छात्रावासों का निर्माण (100)	5.00	5.00
8.	खेल	मूलभूत संरचना स्कीम (100)	5.00	5.00
9.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	ओ.बी.सी. बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण	2.50	2.50
10.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	पारंपरिक स्कीमों जैसे डेयरी, सूअर पालन तथा अन्य स्कीमों के लिए सबसीडी (100)	7.95	7.95
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	निदेशालय के संस्थान के प्लाट की खरीद/भवन का निर्माण	1.00	1.00
12.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आई. में सत्कार शिक्षा (100)	1.10	1.10
13.	अन्य सामान्य सेवाएं	न्यायिक प्रशासन सी.एस.एस. का केन्द्रीय हिस्सा ii) ग्राम न्यायालयों सहित न्यायिक के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास	5.00	5.00
14.	अन्य सामान्य सेवाएं	गृह अन्य सिविल डिफेंस की रिवैमपिंग (100)	2.45	2.45
कुल			67.50	67.50

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	व्यय	अनुमोदित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि	कृषीय विस्तारण मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	4.00	4.05	2.52	63
2.	कृषि	पोषित कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (50:50)	1.00	1.50	0.58	58
3.	कृषि	मृदा स्वास्थ्य कार्डस स्कीम (75:25)	1.00	3.06	0.38	38
4.	सहकारिता	मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	30.00	23.70	23.18	77
5.	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) (60:40)	240.00	240.50	144.61	60
6.	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा.भू.अ.आ.का.) सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण तथा आधुनिक रिकार्ड रूम	5.99	22.50	1.46	24
7.	खेल	खेल उपकरण	10.00	10.10	0.20	2
8.	खेल	मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, राई में पूंजीगत निर्माण कार्य	10.15	14.00	4.15	41
9.	चिकित्सा शिक्षा	मुख्य मंत्री मुफ्त इलाज योजना (नई स्कीम)	25.99	26.34	19.18	74
10.	आयुष	जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण	1.40	1.64	0.54	39
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को स्किल ट्रेनिंग	20.00	22.80	15.47	77
कुल			349.53	370.19	212.27	61

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि	प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रेटजिक इनिशिएटिवस	6.00	3.00	0.96	32
2	कृषि	मृदा में सूक्ष्म पोषक कमी का प्रबंध करना	3.00	0.50	0.18	36
3	कृषि	किसानों को भूमि एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना	1.20	0.60	0.42	70
4	कृषि	कृषि इनपुट्स पर गुणवत्ता नियंत्रण	3.50	2.14	1.67	78
5	कृषि	हरियाणा किसान आयोग	2.50	1.61	1.03	64
6	कृषि	अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के समूह तथा किसानों को सबसिडी पर इंप्लीमेंट्स/मशीनरी प्रदान करने की स्कीम	4.50	2.00	1.38	69
7	कृषि	जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदान करना	10.00	9.95	7.07	71
8	कृषि	कृषीय मैकेनीकरण का उप-मिशन (75:25)	6.00	3.45	0.17	5
9	कृषि	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	60.00	40.00	19.24	48
10	बागवानी	बागवानी निदेशालय की स्थापना	3.20	1.50	0.99	66
11	बागवानी	बागवानी बायो-प्रौद्योगिकी	3.30	1.65	1.15	70
12	पशुपालन एवं डेयरी	आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत राज्य में पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का निर्माण/पुनर्निर्माण	35.50	15.00	9.59	64
13	पशुपालन एवं डेयरी	बिमारियों के नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता की स्कीम	4.00	2.05	0.63	31
14	मत्स्य पालन	पूजीगत परिव्यय - कार्यालय भवन	1.85	1.35	0.09	7
15	वन	एकीकृत वन प्रबंधन स्कीम/एकीकृत वन संरक्षण	3.60	1.95	1.23	63
16	वन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (75:25))	25.00	10.80	2.89	27
17	सहकारिता	सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण	2.50	1.50	0.30	20
18	सहकारिता	अनुसूचित जाति तथा सामान्य निम्न श्रेणी सोसाइटियों को सहायता	1.50	0.50	0.31	62
19	सहकारिता	शहरी आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु ऋण	4.00	3.00	1.80	60
20	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	33.00	6.00	0.63	11
21	भू-अभिलेख	लघु सिंचाई सांख्यिकी का वैज्ञानिक पुनर्गठन मुख्यालय स्टाफ - आई.टी. तथा स्थापना व्यय (100)	1.00	0.22	0.17	77
22	सामुदायिक विकास	चौपाल का निर्माण/मरम्मत सबसिडी स्कीम (अनुसूचित जाति)	1.00	0.50	0.19	38

क्र. सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
23	सामुदायिक विकास	एच.आर.डी.ए./ग्रामीण आवास स्कीम को सहायता की स्कीम	200.00	150.00	94.74	63
24	पंचायतें	राजस्व अर्जन स्कीम	2.00	1.00	0.58	58
25	पंचायतें	मिलान अनुदान स्कीम	2.50	2.00	1.54	77
26	पंचायतें	राज्य वित्त आयोग अनुदान	285.24	263.89	150.00	57
27	सिंचाई	दादूपुर नलवी सिंचाई स्कीम	6.50	2.00	1.19	60
28	सिंचाई	जल के सामान वितरण हेतु नई माईनरों का निर्माण	32.00	15.00	11.39	77
29	सिंचाई	संस्थागत सुदृढीकरण	25.30	20.30	8.54	42
30	सिंचाई	राज्य में जल निकायों का विकास	20.00	10.00	6.92	69
31	उद्योग	एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम	6.00	1.60	0.60	38
32	उद्योग	खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन	16.00	8.00	0.03	0
33	खान एवं भू-विज्ञान	खदानों एवं खनिजों का विकास	1.20	0.59	0.25	42
34	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	आवास स्कीम जेले	30.00	15.00	11.67	78
35	सड़क परिवहन	कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	1.00	0.50	0.35	71
36	डी.ई.एस.ए.	राज्य स्तर पर प्लानिंग मशीनरी का सुदृढीकरण	2.00	0.47	0.36	76
37	विकेंद्रीकृत/जिला आयोजना	जिला योजना	372.50	211.48	143.89	68
38	प्राथमिक शिक्षा	बी.पी.एल. विद्यार्थियों (I-VIII) के लिए मासिक छात्रवृत्ति	25.00	19.00	9.43	50
39	प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन	150.00	97.42	75.94	78
40	प्राथमिक शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	855.50	655.00	457.11	70
41	माध्यमिक शिक्षा	प्रशासनिक स्टाफ - डी.ई.पी.ओ. मेवात तथा पलवल कार्यालयों के लिए वेतन	6.96	2.28	1.80	79
42	माध्यमिक शिक्षा	एस.सी.एस.पी. स्कीमों के आपरेटरो को मानदेय	2.00	1.75	0.60	34
43	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ब्लॉक संस्थान की स्थापना (बी.आई.ई.टी.ज)	7.63	3.76	2.98	79
44	माध्यमिक शिक्षा	राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क	48.00	34.60	26.63	77
45	उच्चतर शिक्षा	सरकारी कालेजों में पुस्तकालय सेवाओं का सुदृढीकरण	2.50	2.30	1.56	68
46	उच्चतर शिक्षा	हिसार तथा नूंह (मेवात) में नई गर्ल्स एन.सी. सी. बटालियन बनाना	1.10	1.00	0.47	47
47	कला एवं संस्कृति	जोनल म्यूजियम की स्थापना	1.63	0.85	0.22	26
48	खेल	मानव संसाधन विकास	31.12	27.75	19.81	71
49	चिकित्सा शिक्षा	महाराजा अग्रसेन चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अगरोहा (हिसार) को सहायता अनुदान	62.00	49.00	34.00	69
50	चिकित्सा शिक्षा	कार्यालय निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा की स्थापना	3.80	3.41	2.62	77
51	स्वास्थ्य	सिविल सर्जनों के लिए जिला स्टॉफ की निरंतरता	6.80	5.61	3.61	64

क्र. सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
52	स्वास्थ्य	रेफरल हास्पिटलस	24.20	18.45	14.34	78
53	स्वास्थ्य	अनुसूचित जातियों के लिए जननी सुरक्षा स्कीम	15.90	8.00	6.11	76
54	स्वास्थ्य	मलेरिया	10.00	9.50	7.05	74
55	स्वास्थ्य	निदेशालय स्तर तथा जिला स्तर पर कंप्यूटर कक्ष (आई.टी.)	3.50	1.32	0.64	48
56	आयुष	राष्ट्रीय आयुष मिशन	21.00	19.00	10.89	57
57	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी: विशेष घटक उप-प्लान	14.00	7.44	5.70	77
58	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	305.00	170.00	135.46	80
59	पुलिस	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम	22.80	17.73	10.50	59
60	शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिकाओं/परिषदों को गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर की बिक्री पर 2 प्रतिशत कमीशन का भुगतान	220.00	195.00	113.30	58
61	शहरी स्थानीय निकाय	राज्य के एम.सीज में चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के अपग्रेडेशन की स्कीम (मुख्यमंत्री की घोषणा)	100.00	2.00	0.08	4
62	शहरी स्थानीय निकाय	राजीव गांधी आवास योजना (75:25)	66.65	58.00	3.62	6
63	लोक संपर्क	मॉस कम्यूनिकेशन में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	1.70	0.87	0.64	74
64	श्रम	निराश्रित एवं प्रवासी बाल श्रमिक का पुनर्वास	1.20	0.77	0.61	79
65	श्रम	श्रम विभाग का कंप्यूटरीकरण (आई.टी.)	2.15	2.13	0.90	42
66	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	आम आदमी बीमा योजना	18.50	4.00	3.09	77
67		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (100)	14.80	9.00	6.37	71
68						
69	महिला एवं बाल कल्याण	पूरक पोषण कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस. में)	224.00	194.00	121.99	63
70	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एस.पी. आई.यू.) तथा मीडिया इंस्ट्रक्शनल सिस्टम	3.00	2.00	1.48	74
71		आई.टी.आईज का एक्सीलेंस सैंटरों में उन्नयन	8.00	6.55	0.51	8
72	स्वाद्य एवं आपूर्ति	एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन	162.00	7.06	4.03	57
73	अन्य सामान्य सेवाएं	एकीकृत वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंध	5.00	3.00	0.45	15
74	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	एस.सी./बी.सी. विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं/कन्याओं को सिलाई प्रशिक्षण तथा नए कल्याण केंद्र खोलना	1.10	0.82	0.56	68
75		अनुसूचित जाति तथा अननुसूचित जनजातियों के लिए डॉ. अम्बेडकर हाऊसिंग स्कीम	40.00	10.00	6.57	66
कुल			3,706.93	2,461.47	1,575.81	64

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित / संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि	वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, गुणवत्ता शहद, प्रो-एग्री एंड नॉन-एग्री लेबर्ज	3.50	1.16	33
2.	कृषि	बायो गैस प्लांटों की स्थापना (100)	3.00	0.88	29
3.	वन	वन भवन एवं संचार	5.00	3.48	70
4.	वन	राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारणों का विकास	3.90	1.30	33
5.	सहकारिता	सहकारी क्रेडिट संस्थानों को शेयर पूंजी (एल.टी.ओ. फंड)	30.00	21.18	71
6.	सहकारिता	अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी	1.00	0.43	43
7.	सहकारिता	शहरी सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी	1.50	1.13	75
8.	सहकारिता	लेबर फेडरेशन को शेयर पूंजी	1.00	0.75	75
9.	सहकारिता	हाऊस फेडरेशन को शेयर पूंजी	2.00	1.50	75
10.	सहकारिता	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूंजी (100)	5.00	0.87	17
11.	ग्रामीण विकास	एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) (90:10)	55.50	21.02	38
12.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) (90:10)	268.00	201.09	75
13.	सामुदायिक विकास	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/निर्मल भारत अभियान/पूर्ण स्वच्छता अभियान)	200.00	55.05	28
14.	मेवात विकास बोर्ड	मेवात विकास एजेंसी (परियोजना प्रबंध)	1.65	1.01	61
15.	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक निर्माण कार्य	8.57	0.63	7
16.	शिवालिक विकास बोर्ड	वाटरशैड प्रबंधन	16.00	6.11	38
17.	सिंचाई	बी.एम.एल. की क्षमता का पुनरुद्धार	7.00	4.57	65
18.	उद्योग	नई औद्योगिक इकाइयों को वैट/बिक्री कर के अंतर्गत कर का रिफंड/बिक्री कर के बदले में ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति	20.00	12.60	63
19.	नागर विमानन	राज्य में एयरोड्रमज, एयर-स्ट्रीप्स एवं अन्य विमानन भवनों का निर्माण एवं विकास	3.00	0.84	28

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित / संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
20.	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	सूचना प्रौद्योगिकी	2.50	0.38	15
21.	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	एन.सी.आर. लोन	250.00	169.66	68
22.	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	सी.आर.एफ. से ट्रांसफर - इंटर एकाऊंट ट्रांसफर (100)	75.00	42.42	57
23.	सड़क परिवहन	रेगुलेटरी विंग तथा रोड़ सेफ्टी प्रोग्राम का कंप्यूटरीकरण	2.10	0.99	47
24.	विज्ञान एवं पौद्योगिकी	हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम	6.00	2.90	48
25.	पर्यटन	पर्यटन को बढ़ावा/ऐतिहासिक स्मारकों का प्रदीपन	1.20	0.95	79
26.	पर्यटन	डेस्टिनेशनज एंड सर्किटस का मूलभूत विकास	10.00	0.91	9
27.	प्राथमिक शिक्षा	मिडल कक्षा में बेहतर छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति	1.20	0.63	53
28.	प्राथमिक शिक्षा	सभी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों (I से VIII) के लिए मासिक छात्रवृत्ति	210.00	147.38	70
29.	प्राथमिक शिक्षा	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों (I से VIII) के लिए नकद पुरस्कार	85.00	66.98	79
30.	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षक कल्याण निधि	1.00	0.23	23
31.	माध्यमिक शिक्षा	बेहतरी के लिए शिक्षा प्रोत्साहन (ई.ई.ई.) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति	3.00	1.48	49
32.	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति	12.00	6.90	58
33.	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बी.सी. - ए विद्यार्थियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति	50.00	36.54	73
34.	माध्यमिक शिक्षा	मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्य प्रोत्साहन योजना (स्कूल सौंदर्यकरण अवार्ड स्कीम)	1.71	1.00	58
35.	माध्यमिक शिक्षा	निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन	5.00	3.62	72
36.	माध्यमिक शिक्षा	स्कूलों में खेल उपकरणों का प्रावधान तथा खेल के मैदानों का विकास	5.00	2.97	59
37.	माध्यमिक शिक्षा	वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च स्कूल में पृथक गर्ल्स टाईलेट्स/हैंड पम्प का निर्माण (नाबार्ड)	27.20	15.71	58
38.	उच्च शिक्षा	सरकारी कालेजों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें बेहतरी के केंद्रों में परिवर्तन करना और सरकारी स्कूलों में विषय के रूप में कंप्यूटर शिक्षा का आरंभ एवं अन्य गतिविधियां	2.50	2.00	80
39.	उच्च शिक्षा	छात्राओं के सशक्तिकरण निदेशालय में कालेज में विमेन सैल की स्थापना	1.00	0.67	67
40.	उच्च शिक्षा	विद्यार्थियों का मानव संसाधन विकास (पढ़ाई के साथ कमाई)	1.40	0.88	63

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित / संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
41.	उच्च शिक्षा	प्रयोगशालाओं का संवर्धन	1.50	1.03	69
42.	उच्च शिक्षा	सरकारी कालेजों में खेल गतिविधियां	1.00	0.48	48
43.	उच्च शिक्षा	छात्रवृत्तियां	1.70	1.13	66
44.	उच्च शिक्षा	राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.) (100)	1.00	0.09	9
45.	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना फेस - IV	25.00	13.50	54
46.	तकनीकी शिक्षा	एकीकृत दक्षता विकास स्कीम	5.76	1.44	25
47.	तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	5.00	0.06	1
48.	तकनीकी शिक्षा	बहुतकनीक के माध्यम से सामुदायिक विकास	2.00	1.10	55
49.	खेल	खेल स्कीम का विस्तृत प्रचार	1.30	0.77	59
50.	खेल	खेल अवार्ड एवं प्रोत्साहन स्कीम	1.50	0.75	50
51.	खेल	अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	13.00	4.81	37
52.	खेल	पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) (100)	14.28	0.88	6
53.	स्वास्थ्य	अस्पतालों में स्वतंत्र फीडर लाईनें प्रदान करना	2.50	1.68	67
54.	स्वास्थ्य	अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद	40.90	24.01	59
55.	स्वास्थ्य	अस्पताल का सुधार एवं विस्तार (मशीनरी एवं उपकरण की खरीद)	45.00	28.94	64
56.	स्वास्थ्य	उपकरण की मरम्मत / ए.एम.सी. / सी.एम.सी.	5.00	2.99	60
57.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	यमुना एक्शन प्लान फेस - I	2.00	0.80	40
58.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	आई.ई.सी. गतिविधियां सूचना - शिक्षा संचार शेरिंग	1.80	0.77	43
59.	आवास	सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण (वित्त विभाग)	1.00	0.09	9
60.	श्रम	फरीदाबाद, गुड़गांव में लेबर कांप्लेक्स का निर्माण	7.50	3.38	45
61.	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	5.13	3.02	59
62.	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा बाल कल्याण परिषद्	14.00	6.50	46
63.	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण नाबार्ड ऋण	103.62	26.93	26
64.	महिला एवं बाल विकास	जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत रिमांड / आबजरवेशन होमस का निर्माण	7.00	5.25	75

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित / संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
65.	महिला एवं बाल विकास	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम (100)	8.00	3.85	48
66.	महिला एवं बाल विकास	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला	19.00	11.29	59
67.	महिला एवं बाल विकास	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (75:25)	3.35	1.99	59
68.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	दक्षता विकास अभिक्रम (100)	6.00	1.25	21
69.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	विशेष केन्द्रीय सहायता प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करना (100)	5.00	0.22	4
70.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	न्यायपालिका की मुलभूत सुविधाओं का विकास (न्याय प्रशासन) (75:25)	30.00	23.40	78
71.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	एम.एल.ए. फ्लैट्स	7.00	4.51	64
72.	अन्य सामान्य सेवाएं	मुख्यालय स्टॉफ - आई.टी.	1.50	0.61	41
73.	अन्य सामान्य सेवाएं	ट्रेजरी स्टॉफ - स्थापना व्यय	2.00	1.34	67
74.	अन्य सामान्य सेवाएं	आबकारी एवं कराधान	34.79	10.86	31
कुल			1,813.56	1,030.52	57

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि	के विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम	-	1.84	0.41	22
2.	कृषि	राज्य विस्तार को सहायता	-	8.47	5.48	65
3.	पशुपालन एवं डेयरी	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण हेतु स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	-	2.59	0.40	15
4.	पशुपालन एवं डेयरी	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्कीम (100)	-	2.00	1.48	74
5.	पशुपालन एवं डेयरी	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय प्लान	-	9.70	4.69	48
6.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उन्नयन	-	37.54	0.91	2
7.	उच्चतर शिक्षा	सरकारी कालेजों में शिक्षक एवं शिष्य तथा सहायक स्टॉफ और मुख्यालय स्टॉफ का मानव संसाधन विकास	-	1.00	0.66	66
8.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी शिवालिक एवं दक्षिण हरियाणा (टी.एफ.सी.)	-	58.80	37.19	63
9.	एस.सी. एवं बी.सी. का कल्याण	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कियों के लिए) (100)	-	4.00	2.00	50
10.	स्वाद्य एवं आपूर्ति	दाल रोटी स्कीम	-	154.00	101.10	66
कुल				279.94	154.32	55

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ix); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन	4.00	20.48	5.92	29
2.	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	250.00	375.00	241.76	64
3.	बागवानी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)	104.00	130.00	86.96	67
4.	बागवानी	लघु सिंचाई	5.00	59.00	40.87	69
5.	पशुपालन एवं डेयरी	कंजरवेशन एक्ट स्कीम - देशी पशु का विकास	1.00	3.50	2.27	65
6.	पशुपालन एवं डेयरी	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्कीम (सी.एस.एस.)	2.50	10.37	4.58	44
7.	सहकारिता	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को शेयर पूंजी (100)	12.71	25.26	12.71	50
8.	सामुदायिक विकास	ग्राम पंचायत/जिला परिषद् भवन सहित नए ब्लॉक ऑफिस भवन का निर्माण	5.00	15.00	5.85	39
9.	पंचायते	ग्राम स्कीम में विशेष विकास कार्य (एस.एफ.सी.)	73.50	132.05	73.50	56
10.	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	आवास स्कीम - न्यायिक मूलभूत संरचना का विकास (आवासीय)	50.00	53.35	40.22	75
11.	माध्यमिक शिक्षा	पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण (जी.एच.एस./जी.एस.एस. स्कूलों के लिए प्रमुख कार्य)	15.00	21.30	12.83	60
12.	प्राथमिक शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग	1.80	2.35	1.83	78
13.	प्राथमिक शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त साईकिल की प्रदानगी	2.00	8.00	5.04	63
14.	माध्यमिक शिक्षा	सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ड्यूल डैस्क का प्रावधान	10.00	25.00	17.11	68
15.	माध्यमिक शिक्षा	सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी स्कीम (स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन)	30.00	142.17	91.48	64
16.	माध्यमिक शिक्षा	साक्षर भारत	18.90	35.00	25.46	73

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
17.	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (100)	16.00	30.00	20.68	69
18.	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	467.00	497.00	382.64	77
19.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	35.70	77.70	45.82	59
20.	पुलिस	कार्यालय भवन/भूमि	24.33	137.88	92.87	67
21.	शहरी स्थानीय निकाय	स्वच्छ भारत मिशन	1.00	149.96	83.37	56
22.	शहरी स्थानीय निकाय	स्मार्ट सिटी	1.00	6.00	4.00	67
23.	शहरी स्थानीय निकाय	नव शहरी नवीकरण मिशन / जे.एन.एन.यू.आर.एम.	1.40	262.00	92.60	35
24.	खाद्य एवं आपूर्ति	गोदाम का निर्माण	20.00	30.00	20.00	67
25.	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	22.44	278.50	63.08	23
26.		ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	2.50	30.00	5.94	20
कुल			1,176.78	2,556.87	1,479.39	58

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले
1	ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	-	1.20
2	ग्रामीण विकास	सांसद आदर्श ग्राम योजना	-	1.00
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	मेवात (टी.एफ.सी.)	-	1.02
4	एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण	बी.सी. विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	-	6.00
5	एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण	अनुसूचित जाति के लिए विविध क्षेत्र दक्षता विकास कार्यक्रम	-	11.00
6	एस.सी. तथा एस.टी. का कल्याण	अनुसूचित जातियों एवं अन्यो का मूलभूत संरचना विकास	-	1.20
7	अन्य सामान्य सेवाएं	अनुकूल कार्य स्थिति हेतु खजानों/उप-खजानों में मौलिक मूलभूत संरचना	-	2.00
8	विद्युत	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण	-	409.68
9	पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण	9वीं एवं 10वीं कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (100)	-	33.00
कुल			-	466.10

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों बढ़ाया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले
1	तकनीकी शिक्षा	विद्यमान बहुतकनीकीयों का आधुनिकीकरण	3.00	10.00
2	शहरी स्थानीय निकाय	राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (75:25)	33.35	60.00
कुल			36.35	70.00

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 48)

2015-16 के दौरान अनुदान संख्या 23 (खाद्य एवं आपूर्ति) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	प्रतिशत
1	टी.पी.डी.एस. आपरेशनज का एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण (2408-01-001-91)	4.03	2.16	54	1.45	36
2	उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय (3456-104-99)	8.38	3.12	37	3.07	37
3	पूँजी पर व्यय (4408-01-101-97)	207.76	207.76	100	207.76	100
4	गोदामों का निर्माण (4408-02-101-99)	7.65	7.65	100	7.65	100
5	गोदामों का निर्माण (4408-02-101-99)	20.00	4.40	22	4.40	22
	कुल	247.82	225.09	91	224.33	91

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iv); पृष्ठ 48)

पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों से संबंधित शीर्ष - वार विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष वार विवरण	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचतों की प्रतिशतता
2408-01-001-93	दाल रोटी स्कीम	2013-14	108.00	84.60	23.40	22
		2014-15	162.00	112.98	49.02	30
		2015-16	162.00	101.10	60.90	38
2408-01-001-94-99	सूचना प्रौद्योगिकी	2013-14	109.07	0.12	108.95	100
		2014-15	64.62	1.73	62.89	97
		2015-16	12.50	0.02	12.48	100
2408-01-001-96	जिला फोरमज	2013-14	16.69	10.58	6.11	37
		2014-15	14.27	12.15	2.12	15
		2015-16	15.57	12.73	2.84	18
2408-01-001-98	फील्ड स्टॉफ	2013-14	107.33	70.70	36.63	34
		2014-15	110.05	58.62	51.43	47
		2015-16	155.50	110.43	45.07	29
3456-104-99	उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय	2013-14	10.38	2.81	7.57	73
		2014-15	0.37	0.22	0.15	41
		2015-16	10.61	8.38	2.23	21
4408-01-101-97	पूंजी पर व्यय	2013-14	500.00	386.35	113.65	23
		2014-15	575.00	229.88	345.12	60
		2015-16	600.00	207.76	392.24	65
4408-01-101-99	अनाज आपूर्ति स्कीम	2013-14	7,549.79	4,827.46	2,722.33	36
		2014-15	7,948.44	5,236.89	2,711.55	34
		2015-16	8,589.91	6,989.28	1,600.63	19
4408-02-101-99	गोदामों का निर्माण	2013-14	30.00	11.33	18.67	62
		2014-15	50.00	5.82	44.18	88
		2015-16	50.00	7.64	42.36	85

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ii); पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	एस.बी. 99 एकीकृत बेकार भूमि विकास प्रबंध परियोजना	36.40	36.40	100	15.18
2	एस.बी. 99 एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.25	2.71	64	2.71
3	एस.बी. 99 अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम	3.85	2.31	60	2.31
4	एस.बी. 97 डी.आर.डी.ए. प्रशासन	15.57	15.00	96	0
5	एस.बी. 96 जिला तथा ब्लॉक स्टॉफ (भारत)	1.12	1.12	100	0
6	एस.बी. 98 हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी की स्थापना	1.14	0.57	50	0
7	एस.बी. 82 पी.आर.आई. के लिए वेट पर सरचार्ज	169.42	169.42	100	0
8	एस.बी. 83 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण गांवों में विशेष विकास कार्यों के लिए स्कीम	66.15	66.15	100	0
9	एस.बी. 89 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थान को सहायता अनुदान	150.00	150.00	100	0
10	एस.बी. 93 विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (सरकारी हिस्सा)	1.54	1.54	100	0
11	एस.बी. 95 विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (जनता का हिस्सा)	1.36	1.36	100	0
12	एस.बी. 89 सी.सी. स्ट्रीट के पेवमेंट की स्कीम	14.82	14.82	100	0
13	एस.बी. 92 सामान्य श्रेणी की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी	0.14	0.14	100	0
14	एस.बी. 93 पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	39.29	31.49	80	31.49
15	एस.बी. 94 पिछड़े वर्गों की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी	0.13	0.13	100	0
16	एस.बी. 96 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम	1.79	1.79	100	0
17	एस.बी. 97 पंचायत/जिला परिषद् भवन एवं राज्य पंचायत भवन सहित नए ब्लॉक कार्यालय भवन का निर्माण	5.85	5.85	100	0
18	एस.बी. 98 गैर-सरकारी राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन	0.92	0.88	96	0
19	एस.बी. 99 पंचायत समितियों को समेकन विकास अनुदान	0.06	0.04	67	0.04
20	एस.बी. 98 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	1.20	1.20	100	0

क्र. सं.	स्कीम नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
21	एस.बी. 99 विधायक आदर्श ग्राम योजना	0.03	0.03	100	0
22	एस.बी. 98 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	419.28	209.64	50	0
23	एस.बी. 85 अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती राज संस्थान हेतु वेट पर सरचार्ज की स्कीम	37.20	37.20	100	0
24	एस.बी. 86 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य	7.35	7.35	100	0
25	एस.बी. 88 माहात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	54.98	54.98	100	0
26	एस.बी. 90 सी.सी. स्ट्रीट के पेवमेंट की स्कीम	4.59	4.59	100	0
27	एस.बी. 91 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की स्कीम	94.74	94.74	100	0
28	एस.बी. 94 मुख्यमंत्री अनुसूचित निर्मल बस्ती योजना	54.00	54.00	100	0
29	एस.बी. 96 अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्कीम	97.02	97.02	100	0
30	एस.बी. 97 अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन चौपाल के निर्माण की स्कीम	0.19	0.19	100	0
31	एस.बी. 98 अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता की स्कीम	15.76	13.37	85	0
32	एस.बी. 96 अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम की स्कीम	0.74	0.74	100	0
33	एस.बी. 99 भूमिधारण कर के बदले में पंचायत समितियों को मुआवजा	0.14	0.07	50	0.06
34	एस.बी. 94 भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी	34.45	10.85	31	10.85
35	एस.बी. 95 देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी	75.55	34.20	45	34.20
36	एस.बी. 96 भारत में निर्मित विदेशी शराब पर चुंगी के बदले में स्थानीय निकायों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी	124.25	44.39	36	44.39
37	एस.बी. 97 रम एवं जिन सहित देशी शराब पर चुंगी के बदले में स्थानीय निकायों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी	58.50	23.03	39	23.03
38	एस.बी. 98 व्यवसाय कर के समापन हेतु मुआवजा	0.09	0.04	44	0.04
39	एस.बी. 99 जिला बोर्डों को उत्तर भारतीय नौघाट अधिनियम के अंतर्गत नौघाटों से आय की हानि हेतु मुआवजा	0.17	0.12	71	0.12
	कुल	1,594.03	1,189.47	75	164.42

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2501-06-101-99-99)	2015-16	600.00	425.37	174.63	29
	2014-15	750.00	50.00	700.00	93
	2013-14	750.00	128.10	621.90	83
अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम (2501-06-789-99)	2015-16	600.00	385.36	214.64	36
	2014-15	750.00	13.84	736.16	98
	2013-14	750.00	128.10	621.90	83
डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. स्कीम (2501-06-800-98)	2015-16	300.00	183.12	116.88	39
	2014-15	200.00	151.33	48.67	24
	2013-14	400.00	181.73	218.27	55
मुख्यालय में मानीटरिंग सैल: स्थापना व्यय (2501-06-800-99-98)	2015-16	40.00	29.56	10.44	26
	2014-15	33.85	23.83	10.02	30
	2013-14	45.00	32.73	12.27	27
स्थापना प्रभार - मुख्यालय (2505-01-702-99)	2015-16	55.00	45.80	9.20	17
	2014-15	50.00	35.85	14.15	28
	2013-14	45.00	39.79	5.21	12
स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टॉफ) (2515-001-98-98)	2015-16	498.00	388.97	109.03	22
	2014-15	493.00	402.13	90.87	18
	2013-14	392.20	304.38	87.82	22
जिला स्टॉफ (पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रभार) (2515-001-99-95)	2015-16	1,329.00	1,054.65	274.35	21
	2014-15	1,044.00	979.52	64.48	6
	2013-14	963.50	873.92	89.58	9
स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टॉफ) (2515-001-99-98)	2015-16	506.15	446.70	59.45	12
	2014-15	468.00	420.48	47.52	10
	2013-14	440.00	380.12	59.88	14
राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, नीलोखेड़ी (2515-003-98-99)	2015-16	226.25	150.90	75.35	33
	2014-15	208.00	156.86	51.14	25
	2013-14	150.58	134.21	16.37	11
विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (सरकारी हिस्सा) (2515-101-93)	2015-16	250.00	154.32	95.68	38
	2014-15	200.00	109.27	90.73	45
	2013-14	524.00	206.19	317.81	61
विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायतानुदान (जनता का हिस्सा) (2515-101-95)	2015-16	200.00	136.00	64.00	32
	2014-15	150.00	77.39	72.61	48
	2013-14	500.00	142.63	357.37	71
पिछड़े वर्गों की चौपालों के निर्माण हेतु सबसिडी (2515-102-94)	2015-16	30.00	12.55	17.45	58
	2014-15	1.00	0.40	0.60	60
	2013-14	30.00	7.20	22.80	76
पंचायत समितियों को समेकन विकास अनुदान (2515-102-99)	2015-16	9.92	6.42	3.50	35
	2014-15	9.92	8.36	1.56	16
	2013-14	2.02	0	2.02	100
अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन चौपाल के निर्माण हेतु स्कीम (2515-789-97)	2015-16	100.00	18.64	81.36	81
	2014-15	1.00	0.70	0.30	30
	2013-14	100.00	22.70	77.30	77
भूमि धारण कर के बदले में पंचायत समितियों को मुआवजा (3604-101-99)	2015-16	20.00	13.72	6.28	31
	2014-15	20.00	16.92	3.08	15
	2013-14	20.00	17.51	2.49	12
व्यवसाय कर के समापन हेतु मुआवजा (3604-200-98)	2015-16	12.00	9.29	2.71	23
	2014-15	12.00	10.64	1.36	11
	2013-14	12.00	10.63	1.37	11

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

अधिक अभ्यर्पणों से संबंधित शीर्ष - वार विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	अधिक
स्थापना प्रभार - मुख्यालय (2505-01-702-99)	0.55	0.00	-0.10	0.45	0.46	0.01
पंचायती राज लोक निर्माण परिमंडल (2515-001-98-94)	61.85	0.00	-7.47	54.38	54.38	0.00
जिला एवं ब्लॉक (2515-001-98-96)	128.85	0.00	-16.03	112.82	112.95	0.13
हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी की स्थापना (2515-003-98-98)	0.60	1.91	-1.41	1.10	1.14	0.04
पंचायत समितियों के लेखाओं के रख-रखाव की स्कीम (2515-197-99)	23.00	0.00	0.47	23.47	23.48	0.01
अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु स्कीम (2515-789-96)	100.00	0.00	-3.28	96.72	97.02	0.30
देशी शराब की बिक्री पर कर के बदले में पंचायत समितियों को आबकारी शुल्क की प्रदानगी (3604-200-95)	58.10	0.00	-0.06	58.04	75.55	17.51
कुल	372.95	1.91	-27.88	346.98	364.98	18

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (v); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय
2505-01-702-88-99 राष्ट्रीय विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	26.40	-26.40	0	0
2505-01-789-99 अनुसूचित जातियों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु स्कीम	6.60	-6.60	0	0
2505-02-789-99 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	53.60	-53.60	0	0
2515-101-81 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.)	66.50	-66.50	0	0
2515-102-84 निर्मल ग्राम पुरस्कार	1.00	-1.00	0	0
2515-102-90 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता स्कीम	10.00	-10.00	0	0
2515-196-98 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला परिषदों को सहायता अनुदान	41.92	-41.92	0	0
2515-197-98 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत समितियों को सहायता अनुदान	62.89	-62.89		
2515-789-87 तीसरे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को सहायता अनुदान	21.35	-21.35	0	0
2553-101-99 (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विभिन्न सैक्टरों के अंतर्गत कार्य का कार्यान्वयन	75.00	-75.00	0	0
कुल	365.26	-365.26	0	0

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2016 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग (2852)	2011-12	13	6.77	4	0.55	2	0.52	2	0.03
		2012-13	32	10.77	4	0.51	2	0.50	2	0.01
		2013-14	49	20.04	7	9.32	1	0.85	6	8.47
		2014-15	184	39.39	184	39.39	172	26.47	12	12.92
2	पुलिस (2055)	2014-15	4	68.00	4	68.00	--	--	4	68.00
3	वानिकी एवं वन्यजीव (2406)	2014-15	1	11.00	1	11.00	--	--	1	11.00
4	पशुपालन (2403)	2014-15	18	81.55	18	81.55	12	79.43	6	2.12
5	ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)	2014-15	4	1.00	4	1.00	3	0.90	1	0.10
6	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2013-14	15	10.75	1	3.49	--	--	1	3.49
		2014-15	33	43.71	33	43.71	10	13.58	23	30.13
7	तकनीकी शिक्षा (2203)	2014-15	85	250.42	85	250.42	78	237.98	7	12.44
8	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2014-15	349	61.91	349	61.91	292	52.77	57	9.14
9	सामान्य शिक्षा (2202)	2011-12	204	465.95	67	126.35	65	126.31	2	0.04
		2012-13	274	897.69	66	375.95	62	310.52	4	65.43
		2014-15	739	1382.54	739	1382.90	726	1349.17	13	33.73
10	ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)	2008-09	248	432.97	10	2.67	8	2.27	2	0.40
		2009-10	205	399.73	15	107.48	4	8.58	11	98.90
		2010-11	221	315.62	31	78.27	18	26.69	13	51.58
		2011-12	442	808.23	133	390.71	24	74.88	109	315.83
		2012-13	401	961.89	261	572.04	75	114.37	186	457.67
		2013-14	410	1,353.50	334	929.64	119	141.26	215	788.38
11	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2011-12	188	21.75	13	2.81	12	2.70	1	0.11
		2012-13	145	15.88	41	4.54	30	3.15	11	1.39
		2013-14	67	8.93	15	5.10	10	2.09	5	3.01
		2014-15	79	52.04	79	52.04	77	43.70	2	8.34
12	शहरी विकास (2217)	2011-12	64	894.67	4	12.53	0	0.00	4	12.53
		2012-13	96	1,274.01	60	906.39	7	38.17	53	868.22
		2013-14	73	1,120.80	57	1,060.70	9	56.69	48	1,004.01
		2014-15	87	1,115.43	87	1,115.43	13	126.80	74	988.63

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण - पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
13	सहकारिता (2425)	2014-15	15	151.71	15	151.71	13	137.59	2	14.12
14	फसल पालन (2401)	2014-15	7	107.78	7	107.78	1	0.02	6	107.76
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2014-15	30	67.67	30	67.67	26	44.34	4	23.33
16	मछली पालन (2405)	2014-15	42	2.16	42	2.16	37	2.08	5	0.09
17	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2012-13	28	17.41	3	10.85	2	0.35	1	10.50
		2013-14	23	18.11	4	12.70	3	2.22	1	10.48
		2014-15	35	10.07	35	10.07	33	8.19	2	1.88
18	सूचना एवं प्रचार (2220)	2012-13	18	5.61	6	2.20	5	0.70	1	1.50
		2013-14	14	10.02	14	10.02	7	3.47	7	6.55
		2014-15	23	15.89	23	15.89	7	3.63	16	12.26
19	इकोलोजी एवं पर्यावरण (3435)	2012-13	6	1.22	6	1.22	--	0.00	6	1.22
		2013-14	5	1.17	5	1.17	--	0.00	5	1.17
		2014-15	12	2.17	12	2.17	--	0.00	12	2.17
कुल			9,024	14,062.92	6,944	9,617.03	5,631	3,349.69	1,313	6,267.34

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
1.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.67 0.61 1.05 1.81 1.75 2.25 2.04 2.18
2.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14 2014-15	1.16 1.00 0.91
3.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2012-13 2013-14 2014-15	1.86 1.87 2.41
4.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14 2014-15	6.57 7.51
5.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	5.36 5.32 8.34 7.64 7.84 8.76
6.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2009-10 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.70 1.43 1.58 1.88 1.80
7.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15	1.42 1.50
8.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15	2.46 2.90

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
9.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	1.79 2.22 2.00 1.93
10.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14	2.42
11.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14 2014-15	2.51 2.52
12.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2013-14 2014-15	1.20 1.28
13.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	2.00 2.12 2.52 2.59 2.37 2.42
14.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14 2014-15	3.09 3.30 3.30
15.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	2.75 3.91 2.66 2.38 3.24
16.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2014-15	1.97
17.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13 2013-14 2014-15	2.58 2.52 2.72
18.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा	2014-15	1.94
19.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.39 0.61 0.55 0.67
20.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39 6.37
21.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14 2014-15	1.15 1.58

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
22.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	2.28 2.38 3.86 3.72 3.70 4.05
23.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15	4.02
24.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15	0.57
25.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	1.28 1.53
26.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	1.14 1.23 1.30 1.65
27.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	4.87 5.03 5.33
28.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.48 0.77 0.85 0.70 0.62
29.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15	3.54
30.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2014-15	2.26
31.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	2.89 4.55 3.64 3.95 4.26
32.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14 2014-15	1.97 1.35
33.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14 2014-15	5.38 6.41 6.22
34.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2014-15	0.46
35.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	1.18 1.44 1.71 1.55 1.72

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
36.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुड़गांव	2012-13 2013-14 2014-15	1.20 1.00 1.50
37.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	3.87 4.29 4.51 4.43 5.65
38.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2013-14 2014-15	2.03 2.06
39.	डी.ए.वी. सेन्टेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13	3.07 2.77 2.79
40.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2013-14 2014-15	3.34 3.99
41.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.86 1.04 0.52 0.72 1.03
42.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	2.55 4.17 4.33 4.27 4.13 3.98
43.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18 1.50
44.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	1.27
45.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.96
46.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	3.90
47.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14 2014-15	3.18 3.18 3.39

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
48.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2013-14	2.17 2.35
49.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	4.00
50.	महिला महाविद्यालय, जोझु कलां भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	0.30 0.51 0.36 0.78 0.83
51.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2014-15	0.67 0.78 1.56 1.73 1.84 1.59 2.44
52.	सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर	2013-14 2014-15	0.04 0.25
53.	छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक	2013-14 2014-15	1.46 1.78
54.	जी.एम.एन महाविद्यालय, अंबाला कैट	2014-15	4.11
55.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2014-15	4.37
56.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2014-15	3.75
57.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2014-15	1.08
58.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2014-15	1.80
59.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढ़ौरा	2014-15	1.97
60.	भगवान परसुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2014-15	3.51
61.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2014-15	3.62
62.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2014-15	5.46
63.	गुरू हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2014-15	1.64
64.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2014-15	5.66
65.	एफ.सी. महाविद्यालय महिलाओं का हिसार	2014-15	3.65
66.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15	5.62
67.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2014-15	4.45
68.	ए.पी.जे. सरसवती के.एम.वी., चरखी दादरी	2014-15	0.95
69.	बी.एल.जे. सुईवाला महाविद्यालय, तोषाम	2014-15	1.80
70.	निरंकारी बाबा गुरूबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2014-15	2.26

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
71.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2014-15	1.37
72.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15	6.39
73.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)	2014-15	0.25
74.	अखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	9.30
75.	वैश्य शिक्षा का महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.66
76.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2014-15	2.23
77.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	3.15
78.	एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैंट	2014-15	6.48
79.	एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरूक्षेत्र	2014-15	0.71
80.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	1.28 1.53
81.	के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला), फरीदाबाद	2013-14	3.72
82.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2014-15	6.51
83.	बी.पी.एस. खानपुर कलां (सोनीपत)	2014-15	0.32
कुल			532.16

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 52)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2014-15	2011-12	2011-12	--	--
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2014-15	2014-15	2008-09	-	-
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2013-14	2012-13	2014-15	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2015-16 से 2019-20	2014-15	2014-15	2013-14	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2014-15	2014-15	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए. जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	2013-14	2014-15	एक वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2012-13	2012-13	-	2013-14 से 2014-15	दो वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2014-15	19 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2014-15	चार वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	2007-08	-	2014-15	एक वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2014-15	2011-12	-	-	-
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2014-15	2013-14	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2014-15	2013-14	-	-	-
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2014-15	सात वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14 से 2014-15	दो वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2013-14	2013-14	2008-09	2014-15	एक वर्ष

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 53)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम / स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां / कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ¹	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	-	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् पीड़कनाशी / खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2013-14	6,332.83	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2010-11	774.86	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				7,125.66	

¹ ये स्कीमें 1986-87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2016 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग - वार / अवधि - वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	-	1 (6.50)	-	-	-	1 (6.50)
2	शिक्षा	1 (0.50)	2 (0.92)	5 (2.59)	1 (0.26)	2 (1.12)	3 (1.41)	14 (6.80)
3	लोक सम्पर्क	1 (4.23)	1 (4.23)	-	-	-	-	2 (8.46)
4	वन विभाग	-	-	-	4 (6.70)	2 (0.71)	6 (1.11)	12 (8.52)
5	चिकित्सा	-	-	3 (2.18)	-	3 (13.42)	-	6 (15.60)
6	तकनीकी शिक्षा	-	-	4 (16.94)	-	-	1 (0.02)	5 (16.96)
7	राजस्व	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	-	1 (3.79)	-	-	-	2 (17.78)
9	सामाजिक कल्याण	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
10	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
11	विकास एवं पंचायत	-	1 (0.00)	-	-	-	-	1 (0.00)
12	जन - स्वास्थ्य	4 (3.97)	3 (16.11)	-	-	-	-	7 (20.08)
13	सिंचाई	2 (0.00)	11 (6.09)	9 (2.16)	5 (0.48)	7 (0.25)	15 (2.07)	49 (11.05)
कुल		12 (31.32)	18 (27.35)	24 (43.44)	11 (10.61)	14 (15.50)	26 (5.21)	105 (133.43)

अर्थात् ₹ 1.33 करोड़

परिशिष्ट 3.6
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पशुपालन	1	6.5	0	0	1	6.50
शिक्षा	11	5.39	3	1.41	14	6.80
लोक सम्पर्क	2	8.46	0	0	2	8.46
वन विभाग	0	0	12	8.52	12	8.52
चिकित्सा	1	0.01	5	15.59	6	15.60
तकनीकी शिक्षा	5	16.96	0	0	5	16.96
राजस्व विभाग	0	0	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	0	0	2	3.77	2	3.77
पुलिस	0	0	2	17.78	2	17.78
समाज कल्याण	3	8.63	0	0	3	8.63
विकास एवं पंचायत	1	0	0	0	1	0.00
जन - स्वास्थ्य	5	11.97	2	8.11	7	20.08
सिंचाई	37	10.5	12	0.55	49	11.05
कुल	66	68.42	39	65.01	105	133.43

अर्थात् ₹ 1.33 करोड़

पारिभाषिक शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भा.स. से सहायतानुदान शामिल हैं।
पूँजीगत प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज	राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।
विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

ऋण पोषण सक्षमता	ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (स.रा.घ.उ. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार), ऋण पोषण क्षमता शर्त बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आ.सा.	आकस्मिक सार
आ.वा.ला.	आपूर्ति की वास्तविक लागत
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
औ.प्र.सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
क.श. तथा श.	कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें
कु.व्य.	कुल व्यय
कु.त.एवं वा.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
चौ.वि.आ.	चौदहवां वित्त आयोग
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ज.ने.रा.श.न.मि.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
डिस्कॉमज	वितरण कंपनियों
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
पू.व्य.	पूँजीगत व्यय
पू.प.	पूँजीगत परिव्यय
पू.प्रा.	पूँजीगत प्राप्तियां
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.स.	भारत सरकार
भा.नि.म.ले.प.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
म.ले.	महालेखाकार
म.वि.का.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय
यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां

रा.सु.प.	राजकोषीय सुधार पथ
रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रा.आ.प्र.नि.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
रा.व्य.	राजस्व व्यय
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
रा.स्त.मॉ.स.	राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
लो.उ.स.	लोक उपक्रम समिति
व्य.ले.ले.	व्यक्तिगत लेजर लेखे
व.ले.कं.	वाऊचर लेवल कंप्यूटरीकरण
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
वि.व्य.	विकास व्यय
वि.पु.प्ला.	वित्तीय पुनःस्थापन प्लान
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
स्टे.बैं.ऑ.इं.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.अ.	संशोधित अनुमान
स.ग्र.रो.यो.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय